

प्रकाशक  
श्रीदुलारेलाल  
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय  
लखनऊ

मुद्रक  
श्रीदुलारेलाल  
अध्यक्ष गंगा-काइनआर्ट-प्रेस  
लखनऊ





## चतुर्थ संस्करण का बक्तव्य

तीन महीने के अंदर ही पुस्तक के पहले संस्करण की सारी प्रतियों का हाथोंहाथ बिक जाना पुस्तक की उपयोगिता का सबूत है। इसलिये ऐसी आशा करना अनुचित न होगा कि यह चौथा संशोधित और परिवर्धित संस्करण हमारे देहातों में जो मई ज़िंदगी आई है, उसे रचनात्मक मार्गों पर ले जाने में कुछ सहायक होगा।

इस पुस्तक के प्रति देश के बड़े-बड़े नेताओं और प्रमुख पत्रों ने जो प्रेम अपनी सम्मतियों और आलोचनाओं में दिखलाया है, उसके लिये मैं उन सबका आभारी हूँ।

शिक्षा-मंत्री माननीय डॉक्टर सैयद महमूद और स्वास्थ्य-मंत्री श्रीजगपाल चौधरीजी को, जिन्होंने अपनी महान् जिम्मेदारियों और कार्य की अधिकता के बीच पुस्तक को अद्योपांत पढ़ जाने का कष्ट उठाया है, किन शब्दों में धन्यवाद दूँ। उनकी कृमती राख कितने संशोधनों की जड़ में है, यह भी हमारे लिये सौभाग्य और गौरव की बात है।

पुस्तक छठे और सातवें वर्ग के लिये पाठ्य-पुस्तक मंजूर कर ली गई है। विश्वास है, यह राष्ट्र के भावी कर्णधारों को वह योग्यता प्रदान करेगी कि वे भारत के देहातों के नव-निर्माण के मसले को सही रोशनी में देख सकें।

वाँकीपुर, पटना  
२६ । १२ । ३८

रामचंद्र त्रिवेदी





त्याग-तपस्या की साक्षात् मूर्ति  
विद्वद्भर पं० गिरीशजी तिवारीकीसेवा

गुरुदेव,

आपकी जीवन-गंगा से शिक्षा की दो वूँदें पाकर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। मेरी वही कृतार्थता सेवा-भाव की तिरंगों में बहकर, विविध कार्यावली के रूप में व्यक्त होकर आपका कीर्ति-गान करने के लिये उद्यत हो रही है। इस पुस्तक की रचना उक्त कार्यावली में से एक है। क्या मैं अपनी इस दृष्टता के लिये आपकी अनुमति की प्रार्थना करूँ? किंतु प्रार्थना करने की बात हृदय में आते ही एक आशंका उत्पन्न होती है। कहीं आप त्याग के नशे में, शंकर की त्याग-वृत्ति से अनुप्राणित होकर, मेरी इस क्षुद्र भेंट का भी त्याग न कर दें! नहीं, मैं आपसे स्वीकृति नहीं माँगूँगा।

क्या कोकिल ने कभी ऋतुराज से स्वीकृति माँगकर उसका गुण-गान किया है? क्या पूर्ण चंद्र के स्तवन के लिये समुद्र में सहज भाव से उत्थित ऊर्मिमाला ने कभी उसकी स्वीकृति-अस्वीकृति की अपेक्षा की है? तो फिर मैं ही क्यों आपसे स्वीकृति माँगकर अपनी कामना को आपकी त्याग-वृत्ति की अनल-ज्वाला में जलने के लिये विवश कर दूँ? यह वस्तु आप ही की है; आप इसे लें या न लें; यह आपकी कृपा पर निर्भर है!

चरण-सेवक  
रामचंद्र



## दो शब्द

यदि मैंने विद्वत्समाज के लिये कोई पुस्तक लिखी होती, तो अवश्य ही वह अनधिकार चेष्टा और अक्षम्य दुस्साहस होता। पर मेरी यह तुच्छ भेंट उनके लिये है, जो गाँवों में रहते हैं, जिनकी शिक्षा-दीक्षा अधूरी और अपूर्ण है। आशा है, ऐसा समझ विद्वान् लेखक मेरी इस धृष्टता के लिये मुझे क्षमा करेंगे।

पुस्तक कैसी है, इस संबंध में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा करना औचित्य का गला घोटना होगा। यह विषय पाठकों का है। अतः इस विषय में वे ही अपनी अमूल्य सम्मति मुझे सूचित करें।

कवि-सम्राट् श्रीपं० दुलारेलालजी भार्गव और अन्य हिंदी-अंगरेज़ी-पत्रकारों तथा लेखकों के प्रति, जिनकी रचनाओं से मैं लाभ उठा सका हूँ, यदि कृतज्ञता प्रकट न करूँ, तो गुनहगार समझा जाऊँगा। अतः मैं उन महानुभावों का आजीवन ऋणी रहूँगा।

यदि यह पुस्तिका राष्ट्र के लिये कुछ भी उपयोगी सिद्ध हुई, तो दूसरे संस्करण में ग्राम-जीवन-संबंधी और आवश्यक विषय देने की चेष्टा करूँगा।

हरदिया, पो० भोरे

सारण

२२ जून, १९३८

सेवक—

रामचंद्र त्रिवेदी



# विषय-सूची

१. पूर्व-भारत के गाँव	...	...	...	पृष्ठ
२. शिक्षा	...	...	...	११
३. कृषि	...	...	...	२९
४. फिज़ूलखर्ची	...	...	...	५१
५. शासन और व्यवस्था	...	...	...	७३
६. निर्वाचन-पद्धति	...	...	...	७७
७. गाँवों का स्वास्थ्य	...	...	...	८१
८. कर्ज़ की समस्या	...	...	...	९२
९. मादक द्रव्य	...	...	...	९९
१०. अखीरी बात	...	...	...	१०२
	...	...	...	११०

# फहला फरिच्छेद

## पूर्व-भारत के गाँव

हम भले ही स्वीकार न करें, पर संसार के सभी न्यायी मनुष्य मानते हैं कि हिंदुस्थान के गाँव किसी समय इतने विकसित थे कि उनकी बराबरी आजकल के नगर और क़सबे भी अब तक नहीं कर सके। कितना घोर परिवर्तन है ! जहाँ आज खादी के मोटे कपड़े भी तैयार करना कठिन हो गया है, वहाँ कुछ ही वर्ष पहले देखने योग्य, बारीक मलमल तैयार होती थी। केवल उद्योग-धंधों तक ही ये ग्राम सीमित न थे, प्रत्युत शिल्प-कला, व्यापार, कृषि, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत, युद्ध-विद्या, गणित, ज्योतिष आदि मानव-समाज को सभ्य बनानेवाली सभी विद्याओं का पूर्ण विकास गाँवों की झोपड़ियों में था। गाँवों में रहनेवाले अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ स्वयं तैयार करते थे। इतना ही नहीं, हिंदुस्थान की बनी कितनी ही वस्तुएँ विलायत के बाजारों में विकती थीं।

रामायण-काल के वैभवशाली, जगद्गुरु भारत के गाँवों पर गौर कीजिए। उस समय हम इन्हें सब तरह पूर्ण पाते हैं। उस समय के बने रामेश्वर के समुद्र के पुल को देखकर सभी

मानते हैं कि उन दिनों की जंगली जातियाँ भी प्रतिभाशालिनी एवं कलाकार थीं। विज्ञान का उन्हें इतना ज्ञान था कि वे वायु-यान तक बनाकर उड़ा सकती थीं। हमारी रामायण पढ़कर ही विदेशी जातियाँ यह समझ सकीं कि किसी समय यहाँ वायु-यान भी बनते थे। आदि-महाकाव्य वाल्मीकि-रामायण देखने से पता चलता है कि उस समय साहित्य का कितना उत्थान था। राम-रावण की लड़ाई में तरह-तरह के वाणों का प्रयोग देख मानना पड़ता है कि युद्ध-विद्या में भी तत्कालीन मनुष्य बहुत बढ़े-चढ़े थे। उस समय भारत की जातियाँ संभवतः चार वर्णों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ) में विभक्त हो चुकी थीं। थोड़ी-सी उपजातियों का भी वर्णन मिलता है। पर समाज में सबका उचित स्थान था, जाति-पाँति का वर्तमान पचड़ा उस समय न था। शृंगी ऋषि के साथ राम की बहन का विवाह इस बात का प्रमाण है कि उन दिनों दो वर्णों में विवाह-संबंध होते रहते थे।

उन दिनों गाँवों के अगुवा सरस्वती-सेवक, जितेंद्रिय, त्याग-मूर्ति, त्रिकालदर्शी, जगद्गुरु ब्राह्मण होते थे। उनका जीवन गाँव में रहनेवाले भोले-भाले मनुष्यों की सेवा के लिये होता था। वे देश की भलाई के लिये, सृष्टि की रक्षा के लिये अपने को खपा देना परम सौभाग्य समझते थे। वे ही क्यों, क्षत्रिय भी तो इसी में अपना गौरव मानते थे। राजा दिलीप, शिवि, दधीचि की कथा कौन नहीं जानता।

वैश्य और शूद्र भी इसी में अपनी शान समझते थे, मानो पूण साम्यवाद था। पर वह साम्यवाद रूस के साम्यवाद से पवित्र, टिकाऊ और पूर्ण था। उन दिनों के ब्राह्मण आज के ब्राह्मणों की तरह नहीं होते थे। उन दिनों समाज-संगठन बड़ा सुन्दर था। ब्राह्मण अपना जीवन आध्यात्मिक उन्नति में बिताते थे। वे रुपया-पैसा छूना भी पाप समझते थे। समाज की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वे ही करते थे। इसीलिये वे ऋषि, मुनि, भूदेव कहलाते थे। उनकी चरण-रज के लिये चक्रवर्ती राजा भी लालायित रहते थे। उनके आश्रम गाँव के बाहर, नदी-किनारे या जंगलों में, शुद्ध मिट्टी के बने होते थे।

उन दिनों प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और लगभग अनिवार्य थी। ये तपस्वी ही फल-मूल और जंगली पत्तियाँ खाकर निःशुल्क शिक्षा देते थे। विद्यार्थियों के सारे खर्च का प्रबंध आचार्य स्वयं करते, राजा से कराते या उन्हें स्वावलंबी बनाकर उसका प्रबंध उन्हीं से कराते थे। लड़के किसी भी हालत में माता-पिता से सहायता न लेते थे, चाहे वे राजकुमार हों या भिखारी। उनका जीवन आजकल के विद्यार्थियों के जीवन की तरह खर्चीला या अंधकारमय न था। उनके भावी जीवन का पूर्ण भार राष्ट्र के कंधों पर था। वे स्वतंत्रता और सभ्यता के वायु-मंडल में पलकर सदाचारी तथा सभी पापों से मुक्त होते थे। वे विनयी, शिष्ट तथा अनुशासन प्रिय होते थे। आचार्य तथा बड़ों की आज्ञा अविलंब पालन करते थे। प्रारंभिक शिक्षा

समाप्त होने के बाद लड़के जिस विषय में प्रतिभाशाली होते, वही विषय पढ़ते। परंतु अधिक लोग उद्योग-धंधे और शिल्प-कला ही सीखते थे। ब्राह्मण अपना सारा समय केवल विद्या पढ़ने में इसलिये लगाते कि राष्ट्र के बालकों को राष्ट्र के लिये उपयोगी बनाने का भार उन्हीं पर था। उन दिनों देश में सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी। यदि हम बालि, सुग्रीव, हनुमान्, जामवंत, जटायु आदि को बंदर, भालू और चिड़िया ही मानें, तो भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य की कौन कहे, हिंदुस्थान के पशु-पक्षी भी चतुर सैनिक थे। राष्ट्र के सभी नवयुवक अवैतनिक सैनिक होते थे, परंतु क्षत्रिय सेना में विशेष रूप से भाग लेते और निपुण योद्धा होते थे। पर इसका मतलब यह नहीं कि सैनिक शिक्षा अन्य जातियों को दी ही न जाती थी। राम-रावण की लड़ाई स्पष्ट कर देती है कि उन दिनों सैनिक शिक्षा सभी जातियों के लिये थी। वे सैनिक अवैतनिक होते थे। क्षत्रिय ही उन दिनों अपने देश के राजा होते थे। पर वे आज के राजों से सर्वथा भिन्न थे। वे अपनी प्रजा के दुःख से दुखी और सुख से सुखी होते थे। राज्य-कार्य मंत्री-सभा द्वारा संचालित होता था।

चक्रवर्ती राजा श्रीरामचंद्रजी एक साधारण प्रजा की बात पर अपनी धर्मपत्नी तक को त्याग देने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। इससे पता चलता है कि राजा प्रजा की अबहेलना स्वप्न में भी नहीं करते थे। उस समय के उच्च राजकर्मचारी,

सैनिक तथा मंत्री अक्सर किसी प्रकार की तनख्वाह नहीं लेते थे, अतः राज्य-कार्य-संचालन तथा क्रीज में बहुत कम खर्च होता था। यही कारण था कि राजा नाम-मात्र का टैक्स लेता था, अपने को जमीन का ठेकेदार समझनेवाले, प्रजा के शोषक जमींदार उन दिनों न थे। राजा अपव्ययी न होता था। अपने निजी खर्च के लिये राजकोष से धन उड़ाने का उसे कोई अधिकार न था। राजकोष प्रजा की थाती थी, वह उसकी उन्नति के कार्यों या ग्रामोत्थान में खर्च होता था। प्रजा को राजा से सब प्रकार की मदद मिलती थी। ग्रामोत्थान, विज्ञान, साहित्य, कला-कौशल, उद्योग-धंधे, कृषि, शिक्षा और अन्वेषण में राजकोष से यथेष्ट सहायता दी जाती थी। दान-दक्षिणा तथा पूजा-पाठ के रूप में भी ब्राह्मण या मठाधीश शिक्षा-दीक्षा में ही खर्च करते थे। अन्यायी, अकर्मण्य तथा अयोग्य राजा गद्दी से उतार दिया जाता था। मंत्री न्यायी, विद्वान् तथा बुद्धिमान् होते थे। राजा के हृदय में अपनी प्रजा के लिये पुत्रवत् प्रेम रहता था। इसीलिये राजा रामचंद्रजी ने वन-गमन के समय लक्ष्मणजी को “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक-अधिकारी” का भय दिखाकर उन्हें वन जाने से रोका था। इससे मालूम होता है कि राजा को यदि किसी पाप से सबसे अधिक डर था, तो वह प्रजा का दुःख था, उसकी सर्द आहें थीं। योगि-राज जनक अपने देश में अकाल पड़ने पर, प्रजा की भलाई

के लिये, स्त्री-सहित खुद हल चलाते हैं ! इसे कहते हैं प्रजा-प्रेम ।

वैश्य कृषि, गोपालन तथा वाणिज्य की उन्नति करते थे । कला-कौशल, कृषि और गोपालन आदि की उन्नति के लिये, आवश्यकता होने पर, उन्हें राजकोष से सहायता मिलती थी । शूद्र-जाति की गुलामी-वृत्ति का उल्लेखनीय वर्णन कहीं नहीं मिलता, न अछूत का ही ऐसा वर्णन मिलता है, जिसमें उनके साथ घृणा का व्यवहार हो । उल्टे श्रीरामचंद्रजी ने गुहनामक मल्लाह से मित्रता कर और शबरी-नामक भीलनी के बेर खाकर समानता का व्यवहार करने का सदुपदेश दिया है । उन दिनों मनुष्य मनुष्य से घृणा नहीं करते थे । वर्ण-व्यवस्था होते हुए भी एक ही जाति थी, जिसे आप ब्राह्मण मानें अथवा शूद्र, क्योंकि ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सेवा करने में ही अपनी शान समझते थे । हाँ, सेवा का प्रकार भले ही योग्यतानुसार अलग-अलग था । विद्या-वारिधि, त्याग-मूर्ति ब्राह्मण निःस्वार्थ भाव से समुचित शिक्षा देते थे । इस प्रकार अपने राष्ट्र की ही नहीं, वसुधा-मात्र की सेवा कर वे अपने को धन्य समझते थे ।

यहाँ के राजा प्रजा की भलाई के लिये अपना शरीर तक नाप देते थे । यहाँ के राज्य के उच्चाधिकारी तथा मंत्री देश की अवैतनिक सेवा करते थे । यहाँ के पूँजीपति समय पड़ने पर अपना खजाना राष्ट्र के लिये खोल देते थे ।

यहाँ विद्यार्थियों के लिये अन्न-वस्त्र का समुचित प्रबंध सरकार स्वयं करती थी। यहाँ के राजा खजाने का एक पैसा भी छूना पाप समझते थे। यहाँ के लोग देश-विदेश परिभ्रमण कर, "अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ; उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।" ( यह मेरा है, वह दूसरे का, ऐसा मंद बुद्धिवाले कहते हैं। उदार मनुष्यों के लिये तो सारा संसार ही अपना कुटुंब है। ) का पाठ पढ़ा समानता का व्यवहार करने का महोपदेश करते थे। क्या आप आज के साम्य-वाद में इससे सुंदर व्यवस्था पाएँगे ?

रामायण की बातें पुरानी हैं, इसमें मतभेद हो सकता है। महाभारत भी छोड़ दीजिए। चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्द्धन तथा विक्रम का ही शासन-काल लीजिए। विदेशी राजदून अपनी डायरी में क्या लिखते हैं—

"राज्य में प्रजा सब प्रकार सुखी थी। कला-कौशल, उद्योग-धंधे उन्नति के शिखर पर थे। सभी अपने-अपने धर्म पर चलते थे। विद्वानों का आदर था। विद्यार्थियों के अन्न-वस्त्र का उचित प्रबंध था। खोजने पर भी कोई अपढ़ नहीं मिलता था। कोई झूठ नहीं बोलता था। गाँव साफ-सुथरे थे। कोई भूलकर भी मादक द्रव्य ( ताड़ी, शराब, गाँजा, भंग ) नहीं पीता था। शासन कमेटियों द्वारा होता था। चोरों का भय न था, अतः घरों में कोई ताला न लगाता था।"

अशोक के समय में बने स्तंभ अब भी पुकार-पुकारकर



गवाहियाँ दे रहे हैं कि उन दिनों कला-कौशल उन्नति के शिखर पर था। और, उन पर खुदे उपदेश राज्य-व्यवस्था बतलाते हैं। हम मिट गए, पर वे जड़ स्तंभ आज भी वैसे ही हैं।

चंद्रगुप्त के शासन-काल में एक विदेशी उस समय की राज्य-व्यवस्था की तारीफ़ सुनकर भारत में आ, राजा चंद्रगुप्त से मिल उसकी सुंदर शासन-व्यवस्था की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए अंत में राज्य के प्रधान मंत्री से मिलने की प्रार्थना करता है। वह कहता है—जिस राजा की शासन-व्यवस्था ऐसी सुंदर है, जिस राज्य में सब-के-सब सुखी, विद्वान् और कर्तव्य-परायण हैं, उस राज्य के प्रधान मंत्री अवश्य दर्शनीय होंगे। कृपया आप मुझे उनके दर्शन कराइए।”

राजा चंद्रगुप्त अपने प्रधान मंत्री को न बुला, विदेशी को साथ ले खुद चाणक्य की कुटीर की ओर जाता है। पगडंडी के रास्ते से जाते हुए कुछ देर बाद विदेशी को चाणक्य की साफ़-सुथरी कुटीर नज़र आती है। उसकी वह ग्राम-कुटीर विलायती मंत्रियों के शानदार वँगलों से सर्वथा भिन्न है। राजभवन से नीति-विशारद चाणक्य की भोपड़ी तक एक पतली पगडंडी चली गई है। नगर के बाहर फूस की एक भोपड़ी बनी हुई है। उसके चारों ओर फूल खिलकर अपनी मंद महक से नीतिज्ञ चाणक्य का नीति-सौरभ दिग्दिगंत में फैला रहे हैं। सुंदर, पुष्ट गाँव आश्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। फूस की छत पर

गोयठे सूख रहे हैं। विदेशी प्रधान मंत्री चाणक्य महाराज के त्याग, सादगी और महत्ता पर मुग्ध हो मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हुआ कहता है—“हे नीतिनिधान, त्याग-मूर्ति, तपस्वी, मंत्रिराज ! जिस देश का मंत्री आप-जैसा होगा, वहाँ की प्रजा क्यों न सुखी, शिक्षित, ईमानदार और च्यभी होगी। आपका देश यथार्थ में ज्ञान-क्षेत्र है, और आप लोग वसुधा-मात्र को ज्ञान की शिक्षा देने के लिये भगवान् द्वारा भेजे गए देव हैं।”

क्या संसार में किसी भी देश के मजदूर दल के मंत्री या साम्यवाद की हेकड़ी भरनेवाले, पक्के साम्यवादी मंत्री ने त्याग का इतना महान् आदर्श, ऐसा ज्वलंत उदाहरण आज तक मानव-समाज के सामने पेश किया है ? मुझे विश्वास है, न्याय के नाम पर सभी एक स्वर से बोल उठेंगे—कभी नहीं। बात सोलहो आने टुरुस्त है। इतिहास के पन्ने उलट-पलटकर आप थक जायँगे, साम्यवादी पत्रों की फाइलें एक-एक कर देख जायँगे, पर कहीं किसी और देश में इतना महान् आदर्श न पाएँगे। हाँ, संसार के आचार्य और वृद्ध हिंदुस्थान के गाँवों की टूटी भोपड़ियों की ओर यदि आप दृष्टि दीड़ाएँगे, तो उदाहरण-रूप में अब भी हिंदुस्थान के सच्चे प्रधान-मंत्री का निवास वर्धा की वैसी ही भोपड़ी में पाएँगे। यह है हिंदुस्थान की महत्ता।

पर यह इतिहास तो हमारे स्वर्ण-युग ( Golden age )

का नहीं, बल्कि कलियुग का है। स्वर्ण-युग की अंत्येष्टि तो महाभारत - काल में ही कर दी गई। उस समय की सच्ची घटनाएँ हमें स्वप्न से भी सफेद भूठ मालूम होती हैं। यही तो हमारे पतन का सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि हमें हिंदुस्थान के गाँवों से लेकर नगरों तक की सभ्यता का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना हो, यदि हम उनके कला-कौशल, आध्यात्मिक ज्ञान तथा पूरा विकास का सच्चा इतिहास जानने की इच्छा रखते हों, तो हम राजा हरिश्चंद्र के समय से लेकर राजा परीक्षित के समय तक के इतिहासों पर गौर करें। उन दिनों हम हिंदुस्थान को वैभवशाली राष्ट्र पाते हैं। महलों से लेकर झोपड़ियों तक में रहनेवालों को सभ्य, शिक्षित, कर्तव्यनिष्ठ तथा भारतीय संस्कृति का पृष्ठ-पोषक पाते हैं। चोर, दुराचारी, धूर्त तथा देश-द्रोही खोजने पर भी नहीं मिलते। मादक द्रव्य सेवन करनेवाले थे ही नहीं। मक्खन और रोटियाँ भरपेट मिलती थीं। यह है वैभवशाली भारतीय राष्ट्र का लाखों वर्ष का उज्वल इतिहास। पर आपस की फूट के कारण वैभव-शाली भारतीय राष्ट्र का भाग्य-भास्कर महाभारत-युद्ध के साथ-साथ अस्त हो जाता है, और हम एक बार सदियों के लिये अशिक्षा और दरिद्रता के घोर अंधकार में आ फँसते हैं। यही बीमारी हमारी विद्या, हमारी संस्कृति, हमारे वैभव, हमारी स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर हमारा जीवन पशु-चत् बनाकर छोड़ती हैं। हम अपने आपको भूलकर घोर

पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं। धीरे-धीरे बीमारी यहाँ तक बढ़ती है कि हम अपना अस्तित्व कायम रख सकने में बिलकुल असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार वैभवशाली, जगद्गुरु भारतीय राष्ट्र का नैतिक तथा आध्यात्मिक पतन महाभारत के बाद से ही आरंभ हो जाता है। फिर भी हमारा विगड़ा औरों के बने से लाख दर्जे अच्छा ही नजर आता है। यदि संदेह हो, तो हमारा सच्चा इतिहास खोलकर पढ़ जाइए।

ईसवी सन् के ३०० से ४०० वर्ष के समय को विदेशी इतिहासकार भारत का स्वर्ण-युग बतलाते हैं। सौभाग्य-वश उसी समय चीनी यात्री फाहियान भारतवर्ष आया था। मेगास्थनीज की तरह वह भी इस काल के हिंदू-राष्ट्र के पराक्रम, उन्नत अवस्था और वैभव का जो वर्णन लिख गया है, उससे मालूम होता है कि उन दिनों भी भारतीयों का जीवन पराजय और शरणागति का नहीं, बल्कि शत्रुओं के दाँतों में तिनका दबवाने-वाला, पराक्रम-युक्त एवं संसार में प्रबलतम साम्राज्य स्थापित करनेवाला था। उन दिनों भारतीयों का साम्राज्य केवल भारत में ही न था, बरन् भारत से बाहर दूर-दूर के देश-विदेशों में भी उनकी भूमि-सेनाएँ और जल-सेनाएँ जाकर बड़े-बड़े राज्य स्थापित कर चुकी थीं। सीलोन से साइबेरिया तक, ब्रह्मदेश, स्याम, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, फिलिपाइंस, हिंदू-चीन (Indo-china) प्रभृति देशों के पर्वतों पर के

शिला-लेखों, इनके ग्रंथालयों की पोथियों, संग्रहालयों, ताम्र-पत्रों और भू-स्तरों के प्राचीन अवशेष इस बात की साक्षी दे सकते हैं। इनका केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, बल्कि राज्य भी साइबेरिया से फिलिपाइन तक फैला हुआ था।

प्राचीन काल में भारतीय राष्ट्र को जिन अंतिम शत्रुओं का सामना करना पड़ा, उन हूणों के विषय में इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि जो दशा शक-यूचियों की हुई, वही हूणों की। हूणों के प्रचंड आक्रमण ने योरप के विजयी रोमन साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी थी, और रशिया से चीन तक सारे देश को उलट-पलट डाला था। किंतु हिंदुस्थान में उनके पैर शकों के बराबर भी न टिक सके। हिंदुस्थान में उनका किया हुआ उत्पात जितना भयंकर था, उतनी ही शीघ्रता से उनका उच्छेद भी हुआ। सन् ५०० के लगभग उनके कप्तान तारेमाल ने पंजाब से घुसकर मालवा-प्रदेश तक आक्रमण किया। ५०२ में उसका पुत्र मिहिरकुल गद्दी पर बैठा। इसी समय हिंदू-राजों का प्रबल संघ एकत्र हुआ, और प्रतापी सेनापति यशोधर्धन ने हूणों को मारते-मारते पंजाब तक खदेड़ दिया, तथा कोरर के रण-क्षेत्र में उनकी सत्ता धून में मिलाकर ही चैन ली। उस समय के विश्व-सम्राटों में चंद्र-गुप्त, बिंबिसार, अशोक आदि सर्वोपरि थे या नहीं, यह सीधे उस ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज या अशोक के कीर्ति-स्तंभों से पूछिए।

श्रीहर्ष की मृत्यु ( सन् ६४६ ) के बाद से हमारी सभ्यता की, हमारे वैभव की दीवार गिरती हुई नजर आती है। अभागे हिंदुओं का अंतिम विलासी राजा पृथ्वीराज, देश-द्रोही जयचंद की नीचता से अंतिम बार, ११९३ में, थानेश्वर के मैदान में, हिंदुओं की हजारों वर्ष की कीर्ति को, उनके वर्षों के जगाए हुए वैभव को, नहीं-नहीं, उनके प्राणों से भी प्यारी स्वतंत्रता और सभ्यता को लुटा देता है। आखिर करता ही क्या, विलासी भी कभी देश और कुल की प्रतिष्ठा कायम रख सकने में समर्थ हो सकता है ?

इसके बाद मुगल आते हैं, और विदेशी होते हुए भी वे कुछ को छोड़कर हमारे साथ ऐसे मिल जाते हैं, जैसे भाई भाई के साथ, हम आर्य अनार्यों के साथ या शक, यूची और हूण पराजित होकर हमारे साथ। धार्मिक बातों के सिवा मुसलमान-शासकों और हिंदुओं में किसी तरह का फर्क नहीं रहा। मुसलमान-शासक भारत में आकर बस गए, और उसे ही अपनी प्यारी मातृभूमि समझकर उसी की उन्नति के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे। यही कारण था कि हिंदुस्थान उन दिनों भी वंभवशाली राष्ट्र बना रहा। कला-कौशल, ग्राम-उद्योग और व्यापार की वृद्धि होती ही रही। यही कारण है कि भारत की प्रत्येक भोपड़ी को हम १८वीं सदी के अंत तक धन-धान्य से परिपूर्ण पाते हैं। लुटेरों द्वारा कई बार लूटे जाने पर भी, कुवेर के कोप के समान, इसे भरा हुआ पाते हैं।

अकाल पड़ने पर भी दो मन का गेहूँ, १६ सेर की मिसरी और ८ सेर का घी विकता था। मुगल-साम्राज्य के अन्तिम दीपक बहादुरशाह के समय तक, हमारे बूढ़े दादा बताते हैं, किसान सुखी और ऋण-रहित थे।

अंगरेजी राज्य के प्रारंभ से ही हमारे देश तथा हमारे गाँवों की भोपड़ियों में दरिद्रता देवी घुसना आरंभ करती हैं।

अंगरेजी कानियों द्वारा गाँवों के उद्योग-धंधे नष्ट कर हमें पंगु बना देना, शिक्षा-पद्धति का दृष्टिकोण बदल देना, मादक द्रव्यों का प्रचार करा हमारी देव-बुद्धि को पाशविक बुद्धि में बदल देना, ये तीन हमारी बरबादी के विशेष कारण हैं। कलकत्ता, बंबई आदि शहर भी तो पहले गाँव ही थे। गाँवों के कोने-कोने में ग्रामीण कला-कौशल का बोलबाला था। हाय ! किस तरह अमानुषिक अत्याचार कर उन भोले-भाले, देहाती भाइयों के कला-कौशल, उद्योग-धंधे नष्ट-भ्रष्ट कर अपने हाथ में ले लिए गए, इसे याद कर भारतीय रो उठते हैं। मैं तो जब कभी भारतीय ईसाइयों से मिलता हूँ, तो यही प्रश्न करता हूँ—“क्या तुमने अंगरेजों से पूछा है कि इस प्रकार जो भारत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लूटकर मरुभूमि बनाए जा रहे हो, इसका क्या अर्थ है ? हम तो तुम्हारे ही धर्म में हैं, भारत की इस दरिद्रावस्था में कैसे पेट भरेंगे, क्या तुमने कभी सोचा है ?” क्या अंगरेज हमारे ईसाई भाइयों को इसका जवान दे सकेंगे ?

मुझे विश्वास है, कभी नहीं। वे तो भारतीय ईसाइयों को कुटिल मित्र के समान गढ़े में डुबोकर उनकी मूर्खता पर हँस रहे हैं। अतः हे हिंदू-मुसलमान और ईसाई भाइयो! आओ, हम तीनों एक साथ मिलकर अपनी दशा सुधारें। भारत में रहनेवाले सभी भारतीय हैं, और उनका जीवन-मरण भारत से ही ताल्लुक रखता है, न कि अरब और योरप से।

हम पुनः अपने विषय की तरफ़ बढ़ें। यह तो साफ़ ही है कि हमारे गाँवों की आर्थिक स्थिति के भयंकर हास का कारण गाँवों के उद्योग-धंधों को जड़ से उखाड़ फेंकना ही है। अँगरेज व्यापारियों ने देखा, यदि हम स्वावलंबन छोड़े देते हैं, तो हमारे बाल-बच्चे भूखों मर जायेंगे, और हाथ कुछ न आएगा। अतः जुल्म और अमानुषिक अत्याचार के बल से हमारे कला-कौशल नष्ट कर हमें परावलंबी बना दिया। हम ज़रूरी वस्तुओं के लिये भी मुहताज हो गए। इस प्रकार जुल्म के जोर से अपने द्वारा बनाई जानेवाली चीज़ें स्वयं न बना हम परावलंबी होने लगे। अब क्या था, दरिद्रता ने हमारे घरों में अपना अड्डा जमा लिया, और एक चार हम गरीबी की दलदल में वेतरह जा फँसे। कुल ८० वर्ष के भीतर ही हम वेतरह बरबाद हो गए।

आज का गाँवों से लेकर नगरों तक का दृश्य देखकर शत्रु भी आँसू बहाए बिना नहीं रह सकते। आज दरिद्रता भारत के कोने-कोने में नग्न रूप धारण कर नाच रही है। जिसे



देखिए, गरीबी की विषम ज्वाला हृदय में द्वाए किसी प्रकार अपनी प्रतिष्ठा बचा रहा है। यदि आपको गरीबी का सच्चा रूप देखना है, तो कन्याकुमारी से नेपाल की तराई तक का कोई गाँव ले लें। ८० वर्ष के भीतर उन गाँवों की शक्ति का जो हास हुआ है, उस पर गौर कर आप तड़प उठेंगे। नब्बे प्रतिशत मनुष्यों के पास तन ढाँकने के लिये बख्त नहीं! लाखों भूखे लज्जा-निवारण-हेतु कमर में केवल एक चिथड़ा लपेटे हुए हैं, साथ में भूख से पीड़ित बच्चों को लेकर दरवाजे-दरवाजे, एक मुट्ठी अन्न के लिये, तिरस्कृत हो रहे हैं। लाखों स्त्री-पुरुष अपना धर्म छोड़ विधर्मी हो रहे हैं। सैकड़ों पढ़े-लिखे, सभ्य नवयुवक मृत्यु-देवी की शरण लेकर, उसकी सहायता से, जिन्होंने उनके सोने के घर को राख बना डाला है, उनके विरुद्ध न्याय के लिये भगवान् के न्यायालय में पहुँच रहे हैं। ये निराश नवयुवक पढ़ाईयाँ पढ़कर और करेंगे ही क्या? क्या वे कोट-पैट पहनकर, बी० ए०, एम्० ए० की डिग्री लेकर दर-दर भीख माँगते फिरें? उन्हें तो अपने पथ का असली काँटा समझ, जान-बूझकर विदेशी नीतिज्ञों ने वेकार बना डाला है। बीजगणित के फॉर्मूले, गणित के कठिन प्रश्न, त्वारीखों के सन्-संवत्, भाषा की मिठास क्या रोटी का प्रश्न हल कर सकते हैं? यदि नहीं, तो जिस शिक्षा-योजना ने उन्हें इस तरह वेकार बनाया है, क्या हम उस योजना ही को न बदल दें? क्या हमारे ही देश में रहकर रईसों के कुत्ते मांस, रोटी

और मकखन नहीं उड़ा रहे हैं ? क्या हमारे शिक्षित लाइले उनके कुत्तों से भी गए-गुजरे हैं ? अतः हमारे लिये यह जरूरी हो गया है कि हम अपनी शिक्षा-योजना में परिवर्तन करें। हर्ष है, कांग्रेसी सरकार ऐसा कर रही है, और महात्मा गांधी की वर्धा-स्कीम का उपयोग करने पर विचारशील और तयार है ! हमारे गाँवों की दरिद्रता के कारण हैं ( १ ) गुलामी, ( २ ) भारतीय कला-कौशल और उद्योग-धंधों का नाश, ( ३ ) वर्तमान शिक्षा-पद्धति, ( ४ ) मादक द्रव्य-सेवन, ( ५ ) अशिक्षा और ( ६ ) आपस की फूट। यदि आप इनके विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दें, तो आपकी गरीबी आप ही दूर हो जायगी। पर इसके लिये आवश्यकता है समाज में क्रांति लाने की। इसे आप भूल जायें कि आपके गाँवों का सुधार कुछ टोपधारी वावू कर देंगे, और आपकी गरीबी का अंत सर तेजबहादुर साहब सप्रू की स्कीम से हो जायगा। आपको तो खुद इन बातों की ओर लगन के साथ लग जाना चाहिए—

१—“पराधीन सपनेहु सुख नहीं।” इस वाक्य को याद कर पूर्ण स्वराज्य की चेष्टा करें। आपकी भोपड़ियों में फिर वैभव टूट पड़ेगा, और आपका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जायगा। आपको वहां स्थान मिलेगा, जो आयरलैंड, रूस, जर्मनी और फ्रांस के नौजवानों का अपना देश आजाद करने में मिल चुका है।

२—आप सभी भारतीय प्रण कर लें कि आज से एक भी

वस्तु विदेशी नहीं खरीदेंगे ❀, और साथ ही ग्राम-उद्योग-धंधों को पुनर्जीवित करने में डट जायँगे ।

३—वर्तमान शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन करें ।

४—मादक द्रव्यों का सेवन एकदम रोक दें ।

५—गाँव-गाँव में पाठशालाएँ स्थापित कर हरएक को शिक्षित कर दें । उद्योगशालाएँ खोल उद्योग-धंधों की पढ़ाई प्रारम्भ करा दें ।

६—हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सभी अपने को भारत-माता की संतान समझ मिल-जुलकर रहें । ऐसा करने से आपके गाँव पुनः स्वर्ग हो जायँगे ।



❀ जितने रुपयों की आप विलायती चीज़ें खरीदेंगे, उतने रूपए आपके देश से विलायत चले जायँगे, अतः विदेशी चीज़ें खरीदना ज़बरदस्ती रुपया विदेश भेजना है । एक अँगरेज़ की घड़ी टूटती है, तो वह अठगुना खर्च कर विलायती दूकानों पर भेजकर अपने राष्ट्र की सहायता करता है । पर हम अभागे थोड़े में विलायती माल खरीदकर अपने राष्ट्र को दिनोंदिन दरिद्र बना रहे हैं !

# दूसरा परिच्छेद

## शिक्षा

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति हमें पंगु बना, चुकी है, अतः उसका श्राद्ध कर आगे बढ़ना होगा। 'पुराना ही चावल पथ्य होता है,' को चरितार्थ करते हुए हमें अपनी ही शिक्षा-पद्धति अपनानी होगी, तभी हमारा कल्याण होगा।

शिक्षा घर से आरंभ होनी चाहिए। कच्चे मिट्टी के बतन पर जैसा चिह्न लगाकर पका देंगे, आजीवन वह चिह्न बना रहेगा, ठीक उसी प्रकार बच्चों के मस्तिष्क-रूपी घड़े में शिक्षा-रूपी जैसा चिह्न लगा देंगे, वह आजीवन बना रहेगा। अतः बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है।

बच्चे जब एक वर्ष के हो जायँ, तो उन्हें ऐसे आदमी के साथ न रखना चाहिए, जो उन्हें गाली देना सिखावे, दूसरों की चीजें लेना सिखावे या भूत-प्रेत, बाघ, सिंह या किन्हीं और डरावनी चीजों का नाम लेकर डरावे। इससे लड़के गाली देना सीख जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, और डरपोक बन जाते हैं। कितने ही घरों में माता-पिता या भाई-बहन बालक को दूसरों को गाली देना सिखाते हैं, और जब वह गाली बकता

है, तो निहायत खुश होते हैं। सूखी हड्डी चवाने से जब कुत्ते के मुँह से खून निकलने लगता है, तो वह खुशी के मारे कूदने लगता है, मानो हड्डी से ही खून आ रहा है। यही हालत उन ना-समझ माता-पिताओं की है, जो अपने बच्चों को दूसरों को गाली देते देखकर खुश होते हैं। बच्चों को सर्वदा पुरानो रीति के अनुसार शिवि, दधीचि, दिलीप, हरिश्चंद्र, राम, कृष्ण, भीष्म, कर्ण, अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, अंगद, वालि, हनुमान्, लक्ष्मण, हज्जरत मुहम्मद साहब, तैयबजी, शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी, महामना मालवीय, पं० जवाहरलाल नेहरू, दश-रत्न राजेंद्र बाबू, सीमांत-गांधी अब्दुल गफ्फारखॉ, मौलाना अबुलकलाम आज़ाद और डॉक्टर सैयद महमूद आदि वीर पुरुषों तथा आज़ादी के दीवानों की जीवनियाँ सुनाते रहना चाहिए। बड़ों को नमस्कार करना सिखाना चाहिए। यदि लड़के किसी को भूलकर भी गाली दे दें, तो उन्हें ऐसे शब्दों में समझाना चाहिए, जिससे वे अपनी गलती समझ जायँ, और पुनः ऐसा न करने की पक्की प्रतिज्ञा कर लें।

जब लड़का पाँच वर्ष का हो जाय, तो ज़बानी पढ़ना सिखाया जाय। उस समय माता की शिक्षा सबसे अधिक लाभदायक होती है। पर यह तभी संभव है, जब भारत की समस्त माताएँ पढ़ाई जायँ। माता के अभाव में बहन, बुआ, चाची, पिता, चाचा

तथा भाई शिक्षा दें। एक वर्ष के भीतर, यानी छ वर्ष की उम्र में, बच्चे को वर्णमाला, गिनती और पहाड़े का मौखिक ज्ञान हो जाना चाहिए। ऐसे लड़कों को दो घंटे सुबह और दो घंटे शाम पढ़ाना चाहिए, इससे अधिक नहीं। जब वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान हो जाय, तो वीर पुरुषों की जीवनियाँ आरंभ करा देनी चाहिए। जीवनियाँ रोचक देहाती भाषा में हों। इसके बाद योग्य ग्राम-शिक्षक की देख-रेख में पाठशाला भेजना चाहिए। इन दिनों बच्चों को केवल शिक्षक के भरोसे छोड़ देना बेवकूफी है। उनकी देख-रेख स्वयं करनी चाहिए। उनके ऊपर हमेशा एक योग्य गुप्तचर रख छोड़ना चाहिए, जो उनके चाल-चलन, रहन-सहन की देख-भाल करे। पर वह गुप्तचर ऐसा न हो, जो लड़के को झूठी बातों में फँसा दे, या स्वयं दुराचारी हो। पाठशाला में देखना चाहिए कि लड़का किसी को गाली तो नहीं देता, किसी की वस्तु तो नहीं चुराता, शिक्षक की आज्ञा पालन करता है या नहीं, अन्य किसी दुष्कर्म में तो नहीं फँसा है ?

जब लड़का आठ-नौ वर्ष का हो जाय, तो पढ़ते हुए भी अपने कुल-समाज या परिस्थिति के अनुसार काम लेना चाहिए। यदि घर पर खेती होती हो, तो विना संकोच उससे खेती का काम लेना चाहिए। खेती के काम में लड़का गोबर निकाल सकता है, उसे बाहर गढ़े में रख सकता है। दरवाजा बहार सकता है। फुलवारी की देख-भाल कर सकता है। गाय-

भैंस दुह सकता है। मवेशी खिला सकता है। चर्खा चलाना, रस्सी बटना आदि आसान काम भी लेने चाहिए। यदि स्कूल में खेती करने की पुस्तकें न पढ़ाई जाती हों, तो उन्हें घर पर अवश्य पढ़ाना चाहिए। यदि पढ़ाई जाती हों, तो उनमें दिए तरीकों को कार्य रूप देने के लिये घर-घर शिक्षकों अथवा घरवालों को तैयार रहना चाहिए। बच्चों को खेती के तरीके पुस्तकों से बताते हुए यह बताना चाहिए कि उत्तम बीज की क्या पहचान है, उत्तम खाद कैसे तैयार होती है, कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, कच्ची खाद से क्या हानि होती है, गहरी जुताई से क्या फायदा है, कौन खाद किस फसल के लिये फायदेमंद है\*, वागवानी करने, तरकारियाँ बोनने, उचित खाद देने, फसल के कीड़ों की पहचान और दवा करने की शिक्षा मिडिल के साथ-साथ पूर्ण हो जानी चाहिए। उद्योग-धंधों का काम सिखाकर बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहिए। ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चे उद्योग-धंधों ( साबुन बनाना, स्याही बनाना, विस्कुट बनाना, कागज बनाना, मिठाई बनाना, शर्वत बनाना आदि ) से पढ़ते समय कुछ कमाकर गरीब

---

\* यदि संभव हो, तो स्कूलों में ही खेत रखकर ये सब बातें सिखाई जायें। प्रत्येक स्कूल में सरकार द्वारा उद्योग धंधों का एक स्कूल खोल कपड़े बुनने तथा स्याही, साबुन, कागज और खिलौने बनाने एवं अन्य आम्र उद्योग-धंधों की शिक्षा दी जाय, जिससे लड़के अपनी जीविका चला सकें।

परिवार को दे सकें। तभी मजदूर अपने बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे।

केवल पुस्तकों के पन्ने रटने से कुछ फायदा न होगा, चलते गरीबी बढ़ती जायगी। अतः साक्षर होते ही कृषि तथा उद्योग-धंधों पर विशेष ध्यान देकर जीविकोपार्जन के उपयुक्त पुस्तकों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। इसी से देश की भलाई होगी। प्रतिशत ८० लड़कों को मैट्रिक और आई० ए०, बी० ए० पास न करा उद्योग-धंधे ही सिखाने चाहिए।

लड़कों के चाल-चलन पर खूब ध्यान देना चाहिए। थोड़ी-सी असावधानी से यदि लड़का विगड़ गया, तो फिर कुछ न कर सकेगा। मेरी समझ में यदि लड़के का जीवन बरबाद होता है, तो अधिकतर माता-पिता की असावधानी से बहुतेरे माता-पिता अपने बच्चों को संसार के उपयुक्त बनाना नहीं जानते। उनकी ही भूल से जब बच्चे खराब हो जाते हैं, तो वे उन्हें पीटते या घर से अलग कर देते हैं, जिसका असर उन पर बहुत बुरा पड़ता है।

एक विद्वान् ने बतलाया है—

“When wealth is lost, nothing is lost,  
When health is lost, something is lost,

“When character is lost, everything is lost”

अर्थात् जिसका धन नष्ट हो गया हो, उसका कुछ भी नहीं विगड़ा, जिसका स्वास्थ्य नष्ट हो गया हो, उसका थोड़ा-सा



नुकसान हुआ, परंतु जिसका चाल-चलन नष्ट-भ्रष्ट हो गया हो, उसका सब कुछ नष्ट हो गया ।

जीवन-समर में विजय पाने के लिये स्वास्थ्य तथा चाल-चलन वड़े ही महत्त्व-पूर्ण विषय हैं ।

खराब सोहवत का असर बहुत बुरा होता है । अक्सर बच्चे बुरी संगत से ही विगड़ते हैं । अतः देखते रहना चाहिए कि वे खराब सोहवत में न फँसें, उन्हें कोई बुरी आदत न लगे । कोई बुरी वस्तु के सेवन की आदत न डाल लें । अवोध बच्चे भला-बुरा नहीं समझ सकते । माता-पिता को उनकी गलतियाँ मालूम होते ही उन्हें अकेले में प्रेम-पूर्वक समझाना चाहिए । एक बार, दो बार न मानेगा, अंत में अवश्य सुधर जायगा । जब उसे अपनी गलती मालूम हो जायगी, तो वह ऐसा सुधरेगा कि जीवन में कोई गलती ही न करेगा ।

बारह वर्ष की उम्र तक प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो जानी चाहिए । जब लड़का मिडिल-परीक्षा की शिक्षा प्राप्त करने लगे, उस समय उसे उद्योग-धंधे और कृषि-शास्त्र के साथ-साथ अन्य विषयों की पुस्तकें भी पढ़ानी चाहिए । बाहरी पुस्तकों में चुनी हुई जीवनियाँ तथा समाचार-पत्र पढ़ाना उत्तम होगा । किंतु यह तभी संभव है, जब प्रत्येक गाँव में पुस्तकालय खुल जायँ । विहार-सरकार इस कार्य को भी शीघ्र ही करने जा रही है ।

जब लड़के मिडिल स्टैंडर्ड की पढ़ाई समाप्त कर डालें, उस

समय खूब सोच-समझकर अपनी परिस्थिति का खयाल रखकर आगे बढ़ाना चाहिए।

इस समय माता-पिता का विशेष कर्तव्य काम में आता है। हमें चाहिए कि लड़के की मनोवृत्ति जानने की कोशिश करें। और जिस ओर लड़के का झुकाव हो, उसी कला-कौशल, उद्योग-धंधे या विद्योपार्जन की ओर उसे लगाएँ। सरकारी नौकरी तथा पद की लालसा त्यागकर अपने पैर पर खड़े होने-वाले धंधे को सीखने के लिये उसे उत्साह देना चाहिए, और खासकर उस कला-कौशल तथा उद्योग-धंधे की ओर लगाना चाहिए, जिससे देश की गरीबी का प्रश्न हल ही सके। माता-पिता को इस बात पर ध्यान देने की सबसे अधिक जरूरत है कि लड़का अठारह वर्ष की अवस्था तक किसी भी ऐसे उद्योग-धंधे में कुशल हो जाय कि वह घर पर भार-स्वरूप न रहकर अपनी स्वतंत्र जीविका चला सके। यदि लड़के की इच्छा आगे बढ़ने की है, और पढ़ने में तेज है, तो उसे उच्च शिक्षा देनी चाहिए। पर आगे बढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि घर का अधिक खर्च न हो। उन्हें सादगी की शिक्षा देनी चाहिए। हमारी वर्धा की योजना में ये सभी विशेषताएँ मौजूद हैं। और, हमें यकीन है कि यदि वह अनिवार्य रूप से हिंदु-स्थान-भर में कार्य-रूप में लाई जाय, तो हमारे देश की एक बड़ी समस्या बात-की-बात में हल हो जाय, और हमारे वच्चे शीघ्र ही स्वावलंबी हो जायँ।

अँगरेजी पढ़नेवाले लड़के का भी खर्च जितना संभव हो, कम होना चाहिए। अच्छा होगा, यदि लड़का मैट्रिक पास करने के बाद स्वावलंबी बनकर पढ़े। हमारे बच्चे स्वावलंबी बनने में शर्माते हैं। उन्हें अमेरिका और जापान के बच्चों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अपने अभिभावक से रूपया लेकर पढ़ने से अच्छा है कि लड़का दूसरों के जूते तक साफ़ करके अपना खर्च चलावे। यों तो शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन अब होगा ही, लड़के स्वावलंबी भी बनाए जायँगे, पर मंत्रि-संज्ञ की योजना सफल तभी होगी, जब हम अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

इन दिनों अँगरेजी पढ़नेवाले बच्चों का जीवन कितना विषाक्त, कितना खर्चाला तथा कितना आडंबर-पूर्ण हो गया है, इसकी कल्पना-मात्र से हम घबरा उठते हैं। हाईस्कूल में नाम लिखाया नहीं कि उनका जीवन रहस्यमय हो गया। वे मन-वचन-कर्म, तीनों में आमूल परिवर्तन कर डालते हैं। खर्च बढ़ने लगता है। एक कुर्ते की जगह दो गंजियाँ, चार कमीजें, दो कोट, दो कुर्ते; दो धोतियों के स्थान पर चार धोतियाँ, दो हाफ-पैट; एक मामूली जूते की जगह एक फ्लशू, एक चप्पल, दो जोड़े मोज़े, एक जोड़ा पातावा की ज़रूरत आ पड़ती है। यदि वे हाईस्कूल-परीक्षा पास कर गए, तो कहना ही क्या—समर-सूट, विंटर-सूट, स्लीपिंग-सूट आदि जहाँ तक हो सकता है, सूटों में रूपए खर्च कर डालते हैं। यदि एक किसान,

उसकी आमदनी ४०० रुपया प्रतिवर्ष हो, एक लड़के को  
 कॉलेज पढ़ने के लिये भेज दे, तो समझ जाइए, उसने गरीबी  
 रीढ़ ली ! कपड़ों के बाद साबुन, टूथ-पाउडर, स्तो, घड़ी,  
 अउटेनपेन और उसकी स्याही, लेटर-पेपर, इनवेलप, मित्रों  
 पास पत्र-व्यवहार का खर्च, मित्र के खिलाने का खर्च,  
 गंधित तेल, शीशे-कंघे, ब्रश, पान-सिगरेट् आदि के खर्च से  
 अपना बसा घर फूँककर ही चैन लेते हैं । यह सब देख हमें  
 लगता है कि लार्ड मैकॉले ने हिंदुस्थान में अँगरेजी-  
 शिक्षा की नींव डालकर हमें बरवाद कर देने का सर्वोत्तम मार्ग  
 ढूँढ निकाला था । शाम को यदि आप शहर के किसी सिनेमा-  
 हॉल की ओर नज़र दौड़ाएँ, तो आपको अन्य दिन ४० प्रतिशत  
 या शनिवार और रविवार को ६० प्रतिशत कॉलेज और  
 स्कूल के विद्यार्थी ही नज़र आएँगे । अपने मित्रों के साथ  
 सिगरेट् पी रहे हैं, सोडे की बोतलें उड़ा रहे हैं, पान चबा रहे  
 हैं और न करने योग्य काम कर रहे हैं । रुपयों का इस तरह  
 हथपयोग देख कलेजा मुँह को आने लगता है । माता-पिता  
 रोते हैं, चलो, लड़का वो० ए० होकर डिप्टी बन गया, तो  
 सारे खर्च सवाब हो जायँगे । वे भविष्य की आशा में आधा  
 ट खाना खा, मैली धोतियाँ पहन, अपने सारे खर्च में  
 कायत कर कॉलेज का टैक्स भरा करते हैं । इस पर भी  
 नहीं चलता, तो कर्ज लेते हैं, गहने गिरवी रखते या खेत  
 बेचते हैं । लड़के भी जब तक पढ़ते हैं, डिप्टीगिरी से नीचे

का स्वप्न ही नहीं देखते ❀ । पर बी० ए०, एम्० ए० पास करके दो-चार वर्ष इधर-उधर घूमने के बाद आँखें खुलती हैं, सारा अभिमान चूर हो जाता है । आखिर बेचारे क्या करें, वर्तमान शिक्षा-पद्धति ने उनका सर्वनाश कर डाला है । पटना-विश्व-विद्यालय के पदवी-दान-समारोह के अध्यक्ष मंच पर से सर तेजबहादुर सप्रू ने वर्तमान शिक्षा-पद्धति की बुराइयाँ दिखाते हुए स्पष्ट कहा था —

“If education means begging, it must be condemned and criticised.”

❀ यह भावना अब बदल रही है । लोग धीरे-धीरे अपने लड़कों को डिप्टी-कलेक्टर बनाने के लिये अब उतने लालायित नहीं दिखाई देते । कांग्रेस-मिनिस्ट्री के ज़माने में तो अब यह भावना और दब रही है, लोग स्वतंत्र व्यवसायों को ही तरजीह दे रहे हैं । हमारे एक मित्र हैं । वह तीव्र-बुद्धि विद्यार्थी रहे हैं, पर आई० सी० एस्० आदि परीक्षाओं में सफल न हो सकने के कारण अब किसी छोटी नौकरी की ही तलाश में हैं । उनके पिता कलेक्टर हैं, शायद इसीलिये वह अपना स्वतंत्र व्यवसाय करना पसंद नहीं करते । यदि ऐसे तीव्र-बुद्धि विद्यार्थी स्वतंत्र व्यवसायों में लगें, और नौकर या गुलाम बनने की अपनी अभिदृष्टि त्याग दें, तो देश का कहीं तीव्र गति से उद्धार हो जाय । अब तक तीव्र-बुद्धि भारतवासी अंगरेज़ी सरकार की नौकरी करने में ही अपना गौरव समझते थे, पर, हर्ष की बात है, अब यह भावना बदल रही है ।

“यदि शिक्षा का अर्थ है भीख माँगना, तो इसे ठुकराकर इसकी धज्जियाँ उड़ा देनी चाहिए।”

हमारे सैकड़ों डिग्रीधारी, होनहार युवक बेकार जीवन से ऊब शहरों में दूध बेच रहे हैं, पनहेरी का काम कर रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं, डाकिए का काम कर रहे हैं, अथवा जूतों पर पॉलिश कर रहे हैं। यद्यपि कोई काम बुरा नहीं, पर वे सब इन कामों को वे मन से करते और निरक्षर लोगों को भी बेकार करते हैं। परंतु करें, तो क्या करें; खेती कर ही नहीं सकते, रूपए हैं नहीं कि व्यापार करें, उद्योग-धंधों की शिक्षा उन्हें मिली ही नहीं, अगर व्यावसायिक शिक्षा मिली होती, तो उन्हें आज ये दिन न देखने पड़ते।

अतः हमें कमर कसकर इस शिक्षा-पद्धति का नाश कर नवीन विचारी हुई शिक्षा-पद्धति अपनानी होगी, तभी हमारा सुधार होगा।

यह तो हुई बच्चों की शिक्षा की योजना, पर हमें गाँवों की निरक्षरता भी दूर करनी है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक को—छी-पुरुष-मात्र को—शिक्षित बनाना है। जब तक हम इस समस्या को हल नहीं कर पाते, तब तक हमारे राष्ट्र का उद्धार होना कठिन ही नहीं, वरन् असंभव है। साक्षरता ने ही रूस का कायापलट किया, ब्रिटेन का मुख उज्ज्वल किया, आयरलैंड को स्वराज्य दिलाया, जापान, जर्मनी और अमेरिका के गरीबों के पेट की धधकती उजाला शांत की। अतः हमें भी साक्षरता के

लिये आंदोलन करना होगा। यही हमारी सफलता की ताली है।

अब आपके सामने प्रश्न यह आता है कि जहाँ १४ प्रतिशत निरक्षर हैं, वहाँ हम इतना जल्द सबको साक्षर कैसे बना सकते हैं ? मानव-जाति के लिये कोई काम असंभव नहीं। रूस से हमारी हालत बुरी नहीं। १९२० से पहले रूस में पाँच प्रतिशत भी साक्षर न थे, परंतु दस बरस के सामूहिक जन-आंदोलन ने रूस को बदल डाला। आज रूस में सभी साक्षर हैं। कोई देश उस पर उँगली नहीं उठा सकता। यदि हिंदुस्थान के शिक्षित भी इस साक्षरता-आंदोलन में अपना हाथ बटा दें, तो पाँच वर्ष के भीतर उनका देश पूर्व-भारत हो जायगा, और फिर ढूँढ़ने पर भी एक निरक्षर न मिलेगा। भारत का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। इन दिनों आठ प्रांतों में जनता की सरकार है, और शेष प्रांतों में भी जल्द कांग्रेसी मंत्रिमंडल कायम होने की आशा नज़र आ रही है। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ग्रामीणों को साक्षर बनाने के लिये बेचैन हैं। वे एक बड़ी रकम इस योजना में खर्च कर रहे हैं। युक्त प्रांत के मंत्रिमंडल ने ३६०० गाँवों में वाचनालय और पुस्तकालय खोले हैं। बिहार के शिक्षा-मंत्री माननीय डॉक्टर महमूद साहब निरक्षरता का अंत करने के लिये बेचैन हैं। एक रोज आपने बिहार-एसंबली-भवन में यहाँ तक कहा था कि मैं प्रधान मंत्री के साथ गाँव में घूम-घूमकर निरक्षर भाइयों

को पढ़ाऊंगा। मुझे यकीन है, आव-ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति अपनी बातें पूरी करने में अपनी सारी शक्ति लगा देगा। आपने पटने में, ता० २६-४-३६ को, निरक्षरता दूर करने के लिये एक सभा बुलाई थी। उस सभा में आपने प्रांत के विद्यार्थियों, शिक्षकों, मिल-मालिकों, शिक्षा-विभाग के सभी कर्मचारियों तथा शिक्षितों से अपील की कि वे छुट्टियों में गाँव-गाँव रात्रि-पाठशाला खोलकर, निरक्षर भाइयों को शिक्षित बनावें। इससे सुंदर दिन भला अब देश के लिये कब आएगा? बिहार के शिक्षा-मंत्री के पवित्र जन-प्रेम का पता आप इसी से लगा सकते हैं कि अल्प काल के मंत्रित्व में आपने प्रजा की भलाई के लिये क्या-क्या सोच डाला। मि० के० टी० शाह आदि विशेषज्ञों को बुलाकर शिक्षा की नई योजना तैयार कराई। मिलों के जुल्मों को रोकने तथा ईख की अधिक-से-अधिक क्रोमत दिलाने के लिये शुगर-कंट्रोल-बोर्ड कायम किया। किसानों की दशा सुधारने के लिये एग्री-कल्चर-कमेटी कायम की, और आज जनता को साक्षर बनाने पर तुले हुए हैं। मैं हिंदुस्थान के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर साहब के इस कार्य की हृदय से तारीफ़ करता हूँ और आशा करता

\* हर्ष की बात है कि हिंदुस्थान के सभी प्रांतों में डॉक्टर साहब के कार्य की बड़ी तारीफ़ हुई है, और पुरस्कार-स्वरूप वह अखिल भारतीय अशिक्षा-निवारण-कमेटी के सभापति भी चुन लिए गए हैं। इधर डॉक्टर साहब ने निरक्षरता-निवारण-कमेटी को



हूँ कि पटने से डॉक्टर साहब द्वारा साक्षरता की किरण उदय होकर भारत के कोने-कोने में तुरंत फैल जायगी।

जिस दिन डॉक्टर साहब की अपील पर ध्यान देकर बिहार के ही नहीं, वरन् देश के शिक्षित, नवयुवक विद्यार्थी तथा शिक्षक प्रत्येक गाँव में एक रात्रि-पाठशाला और एक वाचनालय खोलकर पढ़ना शुरू कर देंगे, उसी दिन निरक्षरता हमारे यहाँ से चल बसेगी। छुट्टी के दिनों में कॉलेज तथा स्कूल के विद्यार्थी या अन्य नौकरी-पेशेवाले शिक्षित अपने घर आते हैं। उन्हें अपने-अपने गाँवों का भार ले, ग्राम-कमेटी बुला, यदि ग्राम-कमेटी कायम न हुई हो, तो कायम कर, उसी गाँव के खर्चे से एक रात्रि-पाठशाला तथा एक वाचनालय खोलकर पढ़ाना आरंभ कर देना चाहिए। यदि नजदीक के गाँवों में प्रबंध न हो सका हो, तो वहाँ भी जाकर पाठशाला और

---

स्थायी सरकारी विभाग बनाकर इस साल एक लाख रुपए भी इस कार्य के लिये मंजूर किए हैं।

हम जिस देश में पैदा हुए हैं, उसका कुछ ऋण हमारे ऊपर लदा हुआ है। हमें उस बोझ को हलका करना चाहिए। उस ऋण के बोझ को हलका करने के नाते भी हमें चाहिए कि हम कम-से-कम दस मनुष्यों को साक्षर बना दें। सरकार की तरफ से भी ऐसा कानून होना चाहिए कि जो शिक्षित कम-से-कम दस मनुष्य साक्षर बनाने का सबूत न पेश कर सके, उसकी सर्टिफिकेट या डिग्री जायज़ करार न दी जाय।

वाचनालय खोलने का प्रबंध कर देना चाहिए। ग्राम-कमेटी, कांग्रेस-कार्यकर्ताओं तथा स्कूल के लड़कों द्वारा आठवें दिन जुलूस निकाल निरक्षरता भगाने का आंदोलन करना चाहिए। जुलूस में निम्न-लिखित नारे लगाए जाने चाहिए—

“अपढ़ रहना भारी पाप है। रात्रि-पाठशाला में पढ़ने आओ। रात्रि-पाठशाला की मदद करो। गाँव-गाँव पाठशालाएँ और पुस्तकालय खोल दो। पढ़ने से ही मुक्ति मिलती है। पढ़े को साहूकार ठग नहीं सकते, पटवारी धोखा नहीं दे सकते। पढ़ने से ही शरीबी दूर होगी।

उपर्युक्त शब्दों को सुंदर, मोटे अक्षरों में लिखकर गाँव के वाचनालय और पाठशाला के कमरे में लटका देना चाहिए। मेरे देश के लाड़लो, भारत मा के बुढ़ापे की आशा, राष्ट्र की थाती, समाज की पूँजी, भारत के सर्वस्व ! याद रखिए, इस काम की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। यदि आप कमर कसकर तैयार हो जायँगे, तो कोई कारण नहीं कि निरक्षरता हिंदुस्थान में रह जाय। आज ही रात्रि-पाठशाला कायम कर अपने गाँवों के उद्धार पर तुल जाइए। इस धर्म-कार्य में आपके आंत के शिक्षा-मंत्री आपको पूरी सहायता देंगे।

कांग्रेस द्वारा भी इस कार्य को सफल बनाने का उद्योग होना चाहिए। शिक्षा-विभाग, को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ के

ऑफिसरों, खेती-विभाग के कर्मचारियों, पुलिस-ऑफिसरों, मिल-कर्मचारियों तथा सरकारी विभाग के अन्य सभी अफसरों को मंत्रिमंडल द्वारा तारीफ़ हो जाने पर उनकी सहायता से भी काफी लाभ हो सकता है। साक्षरता-प्रचारक सभा प्रत्येक प्रांत में क्रायम करने की आवश्यकता है, और उसकी शाखा प्रत्येक जिले और थाने में क्रायम होनी चाहिए। पूरी सावधानी से कार्य करना आरंभ कर देना चाहिए।

ग्राम-कमेटी द्वारा प्रत्येक गाँव में एक-एक पाठशाला स्थापित कर उसी गाँव के एक पढ़े-लिखे, सदाचारी, शिक्षित व्यक्ति को पाठशाले की अध्यापकी के लिये चुन लेना और उसी स्कूल के साथ एक छोटा वाचनालय भी खोल देना चाहिए। वाचनालय में एक दैनिक पत्र तथा कुछ साप्ताहिक एवं मासिक पत्र, कुछ ग्राम-सुधार-संबंधी पुस्तकें, कुछ कृषि-उद्यान-बंधों की पुस्तकें, कुछ राजनीति की पुस्तकें तथा कुछ वीर महापुरुषों के जीवन-चरित्र आने चाहिए। गाँवों में जो अपना दालान दे सकें, उन्हीं के दालान में ये रात्रि-पाठशाला तथा वाचनालय स्थापित करने चाहिए। यदि घर मिलने में दिक्कत हो, तो पेड़ के नीचे ही पढ़ाई आरंभ हो जानी चाहिए। पीछे स्थान का प्रबंध होता रहेगा। गाँव में गरीब से लेकर धनी तक से, हैसियत के अनुसार, चंदा वसूल कर रात्रि-पाठशाला के लिये तेल आदि जरूरी खर्चों का प्रबंध कर लेना चाहिए। पाठशाला तथा वाचनालय के लिये ग्राम-कमेटी के सदस्यों

द्वारा प्रति सातवें दिन मुठिया आदि वसूल कर, नौकरी-पेशा-चाले, सहृदय व्यक्तियों से रुपया ले साक्षरता-कोप में जमा करते जाना चाहिए, और ज्यों-ज्यों कोप में रुपया आता जाय, पुस्तक तथा पत्र-पत्रिकाएँ बढ़ाते जाना चाहिए।

पाठशाला में ग्राम के सभी निरक्षर भाइयों को बुलाकर पहले अक्षर-ज्ञान कराया जाय, फिर उन्हें एक छोटी-सी पुस्तक दी जाय। पुनः अक का ज्ञान कराया जाय, फिर मन-सेर-छटाक, रुपया-आना-पाई और धूर-कट्टा-बीघा का ज्ञान कराया जाय। जब अक्षर का काफ़ी ज्ञान हो जाय, तो उन्हें मोटे-मोटे अक्षरों में लिखित जीवन-चरित पढ़ने के लिये दिए जायँ। छ मास बाद रामायण या उसी तरह की कोई उर्दू-लिपि की पुस्तक दी जाय। मुझे यकीन है, इस तरीक़े से छ मास में सारा गाँव साक्षर बन जायगा। छ मास बाद भी उन लोगों को पुस्तकालय में आने के लिये उत्साह दिलाना चाहिए, और उनके पढ़ने लायक पुस्तक देनी चाहिए, जिससे पढ़ी बातें भूल न जायँ।

स्कूल-कॉलेजों से लड़के लंबी-लंबी छुट्टियों में घर जाते हैं, पर वे अपने राष्ट्र के लिये क्या करते हैं? भारत के भावी कणधारो! सभी मोर्चे आप ही को लेने पड़ेंगे, अतः अगर आप भारत को गुलामी से मुक्त देखना चाहते हैं, तो सर्व-प्रथम आप निरक्षरता-रूपी कोढ़ मिटा दीजिए। छुट्टियों में अब की बार जब आप गाँव में आवें, तो अपने बुजुर्गों से पछें

कि आपके गाँव में ग्राम्य पंचायत कायम हुई या नहीं ? यदि हुई हो, और उसके साथ-साथ रात्रि-पाठशाला, ग्राम-पुस्तकालय तथा वाचनालय नियमित रूप से चल रहे हों, तो अच्छी बात है। ग्राम-पंचों से मिलकर उनकी कमी पूरी कीजिए। द्वार-द्वार जाकर, निरक्षरों को बुला-बुला रात्रि-पाठशाला में स्वयं पढ़ाइए। उन्हें साफ रहने का सदुपदेश दीजिए। और, यदि रात्रि-पाठशाला आदि न कायम हुई हों, तो ग्राम-कमेटी कायम कर, फौरन् रात्रि-पाठशाला और वाचनालय खोलकर निरक्षरों को पढ़ाना आरंभ कर दीजिए। एड़ी से चोटी तक का पसीना एक कर दीजिए। अपने कामों की सूचना शिक्षा-मंत्री, मंत्री जिला-कांग्रेस-कमेटी तथा प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी को दिया कीजिए।

नौजवान दोस्तो ! आपका परिश्रम कभी निष्फल नहीं जा सकता। आपकी प्यारी मा कातर दृष्टि से आपकी तरफ देख रही है। दुनिया उसे मूर्ख कहकर पुकार रही है। यह बरदाश्त करना आपकी शक्ति से बाहर की बात है। उन भोले-भाले, निरक्षर भाइयों को क्या मालूम कि उनकी प्यारी मा पराधीन है। उन्हें अब आप साक्षर बनाकर यह रहस्य बता दो, और उनके सुंदर सहयोग से मा को बरबस मुक्त कर लो। बोलो, क्या प्रतिज्ञा करते हो कि मैं इस छुट्टी में ऊपर के कार्य-कर्म को अवश्य पूरा करूँगा ? लो, प्रतिज्ञा करो, मुझसे अब अधिक गाँवों की दुर्दशा नहीं बरदाश्त हो सकती। मैं

आज ही प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस छुट्टी में अपने ग्राम के एक-एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक को साक्षर बनाकर चैन लूँगा।”

आर्थिक समस्या हल करने के लिये गाँव के सभी शिक्षितों, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की एक टोली गाँवों में निकलनी चाहिए, और उसे रुपए के लिये अपील करनी चाहिए। जो लोग बाहर नौकरी करते हों, गाँव में साहूकार हों, या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उनसे इस विषय में विशेष चंदा लेना चाहिए, इसके बाद घर-घर में मुठिया निकलवानी चाहिए, और रविवार को मुठिया तहसील कर इकट्ठा कर देनी चाहिए। उससे जो आमदनी हो, उसे इसी ग्राम-पाठशाला, पुस्तकालय तथा वाचनालय में खर्च करना चाहिए। अगर मुठिया अधिक आवे, तो उससे दवा का भी प्रबंध होना चाहिए। रविवार को जुलूस भी निकालना चाहिए।

रात्रि-पाठशाला के जो शिक्षक रक्खे जायँ, उनके खाने का प्रबंध गाँववाले कर दिया करें। जिसके पास हल हो, अपने हल से उनके खेतों को समय पर जोत दे, जिसके पास बीज हो, बीज दे दे, धोबी मुफ्त कपड़ा धो दे, तेली मुफ्त तेल पेर दे, बढ़ई मुफ्त लकड़ी का काम कर दे। इस तरह उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति गाँववालों द्वारा की जाय। शिक्षक को कुछ न देने से भी काम चल सकता है। प्रत्येक पढ़ा-लिखा आदमी, जो अपनी रोटी के लिये दिन-भर कोई रोजगार

करता है, रात को दो घंटे अपना समय व्यर्थ बरबाद करने के बजाय दस-पाँच पड़ोसियों को मजे में पढ़ा सकता है। इसी तरह आपस के सहयोग से बिना किसी खर्च के, हिंदुस्थान के सारे गाँव शिक्षित हो जायँगे।

महाकवि विहारीलाल का कहना है—

“जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो वीति बहार ;

अब अलि, रही गुलाब में अपत, कटीली डार।”

जिस मनुष्य ने कभी गुलाब का पुष्प न देखा हो, उसकी दृष्टि अगर पतझड़ के समय गुलाब के पेड़ पर पड़े, तो क्या वह यह कवूल करेगा कि इस पेड़ में भी एक-न-एक दिन ऐसे पुष्प खिलते होंगे, जो अपने सौरभ से सारे संसार को मोहित कर लेते होंगे। यही हाल हमारे ग्राम-कला-कौशल का है।

सत्रहवीं सदी के पहले गाँवों में कला-कौशल उन्नति के शिखर पर आसीन था। यहाँ का सूत और कपड़े देख विदेशी चौक चूठते थे। उन्होंने सोचा, बिना इन्हें अपनाए हम लाभ नहीं उठा सकते। उन लोगों ने गाँवों के मुखियों को मिलाया, और उनको काफ़ी तनख़्वाह दे अपनी कोठियों में जमादार रख लिया। ये जमादार लोग गाँवों में साहबों को लेकर कपड़े बनवानेवालों को दादनी देने लगे। जो दो गज रोज़ कपड़ा तैयार करता, उसे दस गज कपड़ा तैयार करने की दादनी दी जाती। न तैयार करने पर उसकी सारी संपत्ति कुर्क करा ली जाती, तथा उसके सारे घरवालों को जेल भेज दिया जाता। इस

तरह वे स्वाभिमानी कलाकार अपना अपमान बरदाश्त करना उचित न समझ भगवान् की शरण में जा छिपे, और भारत-भूमि कलाकार-विहीन हो गई। एक-दो ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया, पर एक-दो के करने से क्या हो सकता है ?

पर हमें यह जुल्म बरदाश्त किए बहुत दिन हो गए। हम मिट गए, पर दूसरों को मिटाना उचित नहीं समझा ! परंतु अब हमें अपना घर संभालना होगा। गाँव-गाँव में चर्खें का प्रचार हो जाना चाहिए। घर-घर स्त्रियाँ सूत कातें। प्रत्येक गाँव में एक-दो करघे का इंतजाम होना चाहिए, और कपड़ा चुनना सिखाना चाहिए।

इसके बाद रेशम के कीड़े तथा मधु-मक्खी पालने, रेशम का सूत तैयार करने, खपरा और ईटा पाथने, भट्टा लगाने, पाल चुनने, रस्सी बटने, चटाई, स्याही, साजुन, कागज, लोढ़े के हथियार, खिलौने, आलपीन, काच की चीजें बनाने तथा इसी प्रकार की अन्य कारीगरी सिखाने का प्रलोभन गाँवों में देना चाहिए। कारीगरी के विषय में जो कुछ पूछ-ताछ करनी हो, अपने प्रांत के इंडस्ट्री-डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर से करनी चाहिए। प्रत्येक प्रांत में इंडस्ट्री-डिपार्टमेंट की तरफ़की के लिये एक-एक डाइरेक्टर रखे गए हैं। पर जनता इनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा रही है।

डाइरेक्टरों के पते—

१—डाइरेक्टर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़. बिहार, पटना



- २—डाइरेक्टर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़, हिंद-प्रांत, लखनऊ
- ३—डाइरेक्टर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़, बंबई
- ४—डाइरेक्टर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़, मध्य-प्रांत, नागपुर आदि।
- जिस दिन हम अपने कला-कौशल को पुनः अपना लेंगे, उसी दिन हमारा देश सुखी हो जायगा। अतः हमें कला-कौशल की तरक्की के लिये काफ़ी लगन के साथ जुट जाना चाहिए।
-

# तीसरा परिच्छेद

## कृषि

The greatest benefactor of his country is the man, who makes two blades of grass grow where one grew before.

अपने देश का सबसे बड़ा हितू वह है, जो घास की एक टहनी जहाँ उगती थी, वहाँ दो उगाता है।

हमारे उद्योग-धंधे ज्यों-ज्यों हमसे छिनते गए, त्यों-त्यों हम अपने कुटुंब के भरण-पोषण का कोई अन्य साधन न देख एकमात्र कृषि पर अवलंबित होने लगे। कृषि में वाढ़-सी आई गई। किंतु केवल कृषि किसी बड़े देश के जीवन की सारी सामग्री कैसे दे सकती है? जन-संख्या बढ़ती ही गई, पर खेत उतने-के-उतने ही रहे। कृषि की दुर्दशा हो चली। खेत इतने टुकड़ों में बँट गए कि उस हालत में खेती करने पर हानि ही अधिक होती रही। नौबत वहाँ तक आई कि अनेकों भाइयों को जोतने के लिये खेत भी न मिल सके।

सन् १८८० की फ़ैमीन-कमीशन की रिपोर्ट से पता चलता है कि ज़मीन ठीक से जोतने के लिये जितने मनुष्यों की आवश्यकता है, उससे बहुत अधिक लोग खेती करने लगे हैं। दूसरे

किसी धंधे में प्रवेश न होने के कारण उन्हें खेती में ही जाना पड़ा। १८८० ईस्वी से खेती करनेवालों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ती गई, यह आगे के आँकड़ों से ज्ञात होगा। १८८१ में खेती से जाँविका करनेवाले लोगों की संख्या ५८ प्रतिशत थी। १८९१ में वह ६१.६, १९०१ में ६६.५ और १९२१ में ७१.६ तक पहुँची। कुल जन-संख्या का ७६.६ प्रतिशत खेती पर गुजारा करता है, यह रॉयल कमीशन का मत है। किंतु इसके विरुद्ध, इन्हीं वर्षों में, योरप के अनेकों राष्ट्रों में खेती करनेवालों की संख्या कम होती गई। फ्रांस में, १८७६ में, खेती पर निर्भर रहनेवालों की संख्या ६७.६ प्रतिशत थी। १८२१ में ५३.३ प्रतिशत हो गई। जर्मनी में, १८७५ में, ६१ प्रतिशत थी, १९१६ में ३७.८ प्रतिशत हो गई। डेन्मार्क में, १८८० में, ६१ प्रतिशत थी, १९२१ में ५७ प्रतिशत हो गई। इंग्लैंड और वेल्स में, १८७१ में, ३८.२ प्रतिशत थी, १९२१ में २०.७ प्रतिशत हो गई।

इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि ५० वर्ष पहले फ्रांस, जर्मनी और डेन्मार्क से हिंदुस्थान के किसानों की प्रतिशत संख्या कम थी। किंतु इन राष्ट्रों ने धीरे-धीरे अपने उद्योग-धंधों की वृद्धि करके किसानों की संख्या घटाई। हिंदुस्थान में परिस्थिति इसके विपरीत हुई। उन दिनों योरप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, अतः भारत में ग्राम-धंधे गोरों द्वारा नष्ट किए जाने के कारण सारा देश कृषिमय हो रहा है।

हिंदुस्थान के नगरों और गाँवों के हस्त-कौशल के उद्योग-धंधे जैसे-जैसे नष्ट होते गए, वैसे-वैसे उनमें से निकले हुए लोग खेती में लगते गए। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जिन थोड़े-से आधुनिक उद्योग-धंधों का निर्माण हुआ, उनसे देश के हस्त-कार्य करनेवालों में से किसी को अच्छा काम नहीं मिला।

इस प्रकार जिनके पास खेती करने के लिये अपनी निज की ज़मीन नहीं, ऐसे खेती करनेवाले मजदूरों की संख्या गत पचास वर्षों से उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। इस समय कुल खेती करनेवाले लोगों में बिना खेतवाले भाइयों की संख्या ३३ प्रतिशत है। उनमें अधिकतर हरिजन हैं। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि आज हिंदुस्थान में ज़मीन का बिल्कुल कमी नहीं, कुल ज़मीन में ३४.२ ज़मीन अभी जोती जा रही है। खेती के उपयोग में न लाई जा सकने योग्य ३५.२ प्रतिशत ज़मीन यदि छोड़ दी जाय, तो भी खेती के लिये जोतने लायक ज़मीन ३०.६ बच जाती है। सिंध और पंजाब में कितनी ज़मीन उजाड़ पड़ी है। नहर निकालकर वहाँ पानी देने की भारत-सरकार की इच्छा नहीं। उधर कर्जा में डूबे हुए किसानों में पैसा संचित करने और उसे खेती में लगाने की शक्ति कहाँ ? सरकार इस प्रश्न की ओर ध्यान देना नहीं चाहती, अतः उससे भी पैसे की मदद मिलना असंभव है।

पहले लिखा जा चुका है कि खेती करनेवाले लोगों की

संख्या तेजी से बढ़ जाने के कारण जमीन के भी छोटे-छोटे टुकड़े हो गए। जमीन के हिस्से करने की यह घातक पद्धति ब्रिटिश शासन-काल में तेजी से बढ़ती गई। डॉक्टर हेराल्डमैन ने एक गाँव की जाँच की, और बताया कि १७७१ में सामान्यतः एक जमीन ४० एकड़ थी; किंतु वही १६१५ में ७ एकड़ कर दी गई। डॉक्टर साहब ने लिखा है—गत ६०-७० वर्षों में जमीन का स्वरूप ही बदल गया। ब्रिटिश राज्य-काल के पहले और प्रारंभ-काल में खेत बहुत बड़े, ६ एकड़ से अधिक आकार के, होते थे। दो एकड़ से कम का खेत कहीं नहीं मिलता था। आजकल खेतों की संख्या पहले से दुगुनी या उससे भी अधिक हो गई है।

हिंदुस्थान में जमीन का विभाजन किस पराकाष्ठा तक पहुँच गया है, यह नीचे के अंकों से ज्ञात होगा। युक्त प्रांत में प्रत्येक काश्तकार के हिस्से में औसतन २.५ एकड़ जमीन आती है, और बंगाल में ३.१, आसाम में ३, बिहार और उड़ीसा में ३.१, मद्रास में ४.५, मध्य-प्रांत में ८.५, पंजाब में ६.२ और बंबई-प्रांत में १२.२ एकड़। परंतु इस औसत से भी पूरी परिस्थिति की उचित कल्पना नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें बड़ी-बड़ी जमीनों को भी सम्मिलित किया गया है, जिन्हें जोतने से काश्तकारों को कुछ फायदा नहीं होता। ऐसे छोटे-छोटे खेतों का प्रमाण आगे दिए हुए आँकड़ों से ज्ञात हो जायगा। १६२६ में 'एग्रिकल्चरल जर्नल ऑफ़ इंडिया'

में ब्रिटिश हिंदुस्थान के खेतों का आकार इस प्रकार दिया है—

१ या उससे कम एकड़ का खेत	२३ प्रतिशत
१ से ५ एकड़ के खेत	३३ „
५ से १० „	२० „
१० से अधिक „	२४ „

हिंदुस्थान के अन्य प्रांतों से पंजाब की खेती अच्छी समझी जाती है। परंतु वहाँ की खेती का चित्र 'रॉयल एग्रीकल्चरल कमीशन, ने इस प्रकार चित्रित किया है—

“पंजाब-प्रांत के आँकड़ों से मालूम होता है कि कुल काश्तकारों में से २२.५ प्रतिशत १ एकड़ या उससे कम, १५ प्रतिशत १ और २.५ एकड़ के लगभग और २०.५ प्रतिशत ५ से १० एकड़ तक ज़मीन जोतते हैं। पंजाब के एक गाँव का अवलोकन करने के बाद ज्ञात हुआ कि वहाँ के काश्तकारों में ५५ प्रतिशत के पास अपनी निजी ज़मीन ३ एकड़ से कम है, और २३ प्रतिशत ६ एकड़ से भी कम जोतते हैं।”

किसी कृषि-तत्त्ववेत्ता ने पंजाब के २,३६७ देहातों का अवलोकन किया। उससे वह इस नतीजे पर पहुँचा कि लोगों के पास खुद की जो ज़मीन थी, उसमें १७.६ प्रतिशत खेत १ एकड़ से भी कम थे। २५.५ प्रतिशत खेत १ से ३ एकड़ के अंदर के थे। १४.६ प्रतिशत खेत ४ से ५ एकड़ के और १८ प्रतिशत ५ से १० एकड़ के थे।

हिंदुस्थान के अन्य प्रांतों की अपेक्षा बंबई-प्रांत में खेत बहुत बड़े हैं, किंतु वहाँ भी अधिकांश ज़मीन २ से ३ एकड़ या उसके अंदर की है। ५ एकड़ से कम आकार की ज़मीन तेज़ी से बढ़ रही है। १९२७ में 'रॉयल कमीशन ऑफ़ एग्रीकल्चर' ने जो प्रमाण एकत्र किए, उससे पता चलता है कि १९१७ से १९२२ तक बंबई के एक उपजाऊ ज़िले में १५ एकड़ से कम ज़मीन की संख्या में बहुत वृद्धि हुई, और २५ से १०० एकड़ की ज़मीन में उसी अनुपात से कमी हुई।

मद्रास-प्रांत का विशेष अवलोकन करने से यह प्रतीत हुआ कि वहाँ की अधिकांश ज़मीन १ एकड़ से कम है। बिहार और उड़ीसा की ज़मीन का आकार तो १/२ एकड़ से भी कम है।

पंडित बाबूराम मिश्र ने कानपुर-ज़िले के एक गाँव का निरीक्षण किया। वहाँ के कुल २५० काश्तकारों में से १४० एक एकड़, ५० दो एकड़, ४२ तीन एकड़, १९ पाँच एकड़ और केवल १४ दस एकड़ ज़मीन जोतते थे।

इसी प्रकार मि० जे० के० माथुर ने जब गोरखपुर-ज़िले के एक देहात का अवलोकन किया, तो वहाँ औसतन ज़मीन का आकार '२६ एकड़ निकला, और प्रत्येक काश्तकार के हिस्से में औसतन '५२ एकड़ ज़मीन आई। उस गाँव की जोतने योग्य ज़मीन २७ एकड़ थी।

संयुक्त प्रांत के गत सेटिलमेंट के विवरण से सिधुआ-परगने

में एक ज़मीन का आकार १'३ एकड़, जोवन परगने में ६ एकड़ और हाटा तथा सलोमपुर में ५५ एकड़ था। युक्त प्रांत की कुल ज़मीन में से ५६ प्रतिशत ज़मीन के जोतने से काश्तकारों को कुछ लाभ नहीं होता। बैंकिंग इन्क्वायरी-कमेटी ने यह सिद्ध कर दिया है।

संपूर्ण हिंदुस्थान की ज़मीन में से ७६ प्रतिशत ज़मीन १० एकड़ से कम आकार की है। इसमें १५'४ ज़मीन तो १ एकड़ से भी छोटी है।

पैत्रिक भूमि का सम भाग पुत्रों में बाँटने की पद्धति से ज़मीन का विभाजन होता है। किंतु पैत्रिक खेती सब एक-सी ही उपजाऊ नहीं होती, और उपजाऊ ज़मीन के सभी अधिकारी हैं। इससे अच्छी और बुरी, दोनों प्रकार की ज़मीन के विभाग करने पड़ते हैं। पिता की मृत्यु होने पर प्रत्येक वार विभाग होने के कारण अंत में ज़मीन के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ज़मीन का विभाग करने की यह पद्धति कहाँ तक पहुँच गई है, यह आगे दिए हुए आँकड़ों से मालूम होगा—

एक गाँव की जाँच करने पर डॉक्टर हेराल्डमैन को यह मालूम हुआ कि वहाँ कुल १५६ काश्तकारों के पास खुद के ७२६ खेत थे, उनमें से ४६३ खेत एक एकड़ से कम आकार के थे, और ११२ पाव एकड़ से भी अधिक छोटे। कोंकण के कुछ भाग में, विशेषतः रत्नागिरि जिले में बहुत-से ज़मीन के टुकड़े ००६२५ एकड़ यानी सवा तीस चौरस गज़ छोटे हैं।



रामपुर ( पंजाब ) गाँव के अबलोकन से यह ज्ञात हुआ कि उस देहात की कुल जमीन १,५१८ खेतों में बँट गई थी, वहीं एक खेत का आकार औसतन् एक पंचमांश एकड़ के बराबर छोटा आता था। २७ प्रतिशत जमीन में ३० से भी अधिक खेत थे। और तीन स्थानों में तो जमीन के इतने टुकड़े हुए थे कि उनमें से सबसे छोटा टुकड़ा ०.१४ एकड़ का था। इतने छोटे टुकड़ों की देख-भाल मालिक न कर सकते थे, इसीलिये नजदीक के काश्तकारों ने ये टुकड़े अपनी जमीन में जोड़ लिए थे। कहीं-कहीं तो जमीन के समान कुएँ भी बाँटे जाते हैं।

पंजाब में जमीन के हिस्से के बारे में मि० आंगल कहते हैं—‘जालंधर जिले के एक गाँव में १,२८० एकड़ जमीन का ६३,००० खेतों में विभाजन हुआ है। दूसरे एक गाँव में एक सप्तमांश एकड़ से भी छोटे आकार के १६,००० खेतों को ५८३ काश्तकार जोतते हैं, और तीसरे गाँव में ६ एकड़ से भी छोटे ४२४ खेत मिले।’

भूमि-विभाजन की यह घातक पद्धति संपूर्ण हिंदुस्थान में जारी है। शास्त्रीय दृष्टि से किया हुआ भूमि-विभाजन कहीं नहीं दिखाई देता। शायद ही किसी जमीन को कम-से-कम तीन-चार खेतों में न बाँटा गया हो।

इस प्रकार जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाने के कारण

के काश्तकारों को उसके जोतने से कुछ लाभ नहीं होता। पहले से ही छोटी जमीन को छोटे-छोटे खेतों में बाँट दिए जाने से बड़े पैमाने में, अच्छी पद्धति से, खेती करना अशक्य हो जाता है। जो जमीन है, उसे ही खाद देकर उपजाऊ बनाएँ, तो हिंदुस्थान के दरिद्र किसानों के पास उतना पैसा नहीं। इस कारण खेती के साधनों में भी सुधार नहीं होता। किसान बारी-बारी से बदल-बदलकर नाज की फसल उत्पन्न नहीं कर सकता। जमान और पशु आदि की उचित देख-भाल नहीं कर सकता। खेती से एक तो लाभ बहुत कम होता है, उस पर यदि किसी वर्ष वर्षा न हुई, कीड़ों अथवा अन्यान्य प्रकार के उपद्रवों से फसल नष्ट हो गई, तो बेचारा काश्तकार नेस्तनाबूद हो जाता है। इन दुष्परिणामों के साथ ही जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े करने से बहुत-सी जमीन मेड़ों में व्यर्थ जाती है। खेतों की पूरी देख-भाल नहीं हो पाती। एक खेत से दूसरे खेत पर जाने में बहुत समय नष्ट हो जाता है। और खेत की सीमा की वाजित यदि पड़ोसी काश्तकार से झगड़ा शुरू हुआ, तो गाँठ में पैसा न होते हुए भी दोनों को अदालत की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। साथ ही छोटे-छोटे खेतों के कारण फसल अच्छी आती ही नहीं, और काश्तकार आवश्यक पशु तक नहीं पाल सकता। नीचे के आँकड़ों से गोरखपुर, लखनऊ तथा मेरठ-जिलों में प्रत्येक जमीन में कितने मवेशी हैं, यह आप जान सकेंगे—

गाड़ी या हल खींचनेवाले बैल	गाय और बछड़े
गोरखपुर	१'२
लखनऊ	२'१
मेरठ	२'०
	२'१

गत कुछ वर्षों से हिंदुस्थान में पशु, मुर्गा, बतख आदि प्राणियों की संख्या दिन-दिन कम हो रही है। चराई के लिये रक्खी गई जमीन कम-से-कम होती गई है, इस कारण कुछ प्रदेशों में काश्तकार खेती के लिये आवश्यक पशु पाल ही नहीं सकते।

सवेशियों को पेट भर चारा न मिलने के कारण उनसे जितना चाहिए, उतना काम भी नहीं लिया जा सकता। काश्तकारों का जीवन अनेकांश में अपने-अपने पशुओं पर अवलंबित रहता है, अतः पशु-पक्षी मरने लगे कि सर्व-साधारण काश्तकार कंगाल हो जाते हैं। बहुत-से काश्तकारों के पास उनके निज के पशु तक नहीं होते। फसल की बुआई के लिये उन्हें किराए पर दूमरों के बैल लाना शक्य नहीं होता, उन्हें स्वयं पशुओं का काम करना पड़ता है। अपनी छोटी-सी जमीन किसी प्रकार भी जोतकर पेट पालना पड़ता है।

ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्थान में खेती की एकड़ पीछे, उपज यदि संसार के अन्य किसी भी राष्ट्र से कम होती हो, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। १९२२ के निम्न-लिखित कोष्ठक से भिन्न-भिन्न देशों में प्रति एकड़ कितनी उपज होती है, यह भले प्रकार समझ में आ जायगा—

	गेण्ड	नाज	जौ	चावल	कपास	तबाक
राष्ट्र	का ६० पाँड बुशल	का ३५ पाँड बुशल	का २५ पाँड बुशल	पाँड	पाँड	पाँड
कनाडा	१७.२	४३.४	२७.६	—	—	—
यूनाइटेड स्टेट्स	१३.६	२७.३	२४.६	१०.६०	१४.१०	७३.५.६
इंग्लैंड	३१.२	—	३१.०	—	—	—
डेन्मार्क	३६.०	—	४५.६	—	—	—
फ्रांस	१८.६	१६.६	२३.६	—	—	१४२६.१
इटली	१५.१	२०.२	१४.३	२१.५१	—	६१७.६
इजिप्ट	२४.१	३६.३	३०.१	१४.५५ (१६२१)	२६६.०	—
हिंदुस्थान	१३.०	१५.६	१६.८	६११	१.८०	—
जापान	२२.५	२७.७ (१६२१)	३१.७	२४७७	—	—
ऑस्ट्रेलिया	१६.२	२५.७	२१.३ (१६२१)	—	—	—

“महायुद्ध के पहले के वर्षों में ब्रिटिश हिंदुस्थान में जहाँ नहर के पानी का प्रबंध है, वह प्रदेश मिलाकर भी एक एकड़ जमीन का उत्पन्न नाज पचीस रुपयों से अधिक का नहीं हो सकता। जापान में वही उत्पत्ति एक सौ पचास

रूपों से कम नहीं थी।” यह मि० एस्० अप्पा का अनुमान है।

परंतु इससे गत वर्षों में हिंदुस्थान की ज़मीन कम उपजाऊ और नीरस होती जा रही है, ऐसे अनुमान के लिये आधार नहीं। ‘रायल कमीशन ऑफ़ एग्रोकल्चर’ के सामने अपनी साक्षी में हिंदुस्थान सरकार के कृषि-विभाग के सलाहकार डॉ० क्लाउस्टान ने कहा—“हिंदुस्थान की अधिकांश ज़मीन सैकड़ों वर्ष बाद ही अनुर्वर दशा को पहुँचनी चाहिए। इसके बाद यदि सैकड़ों वर्ष बिना खाद दिए फसल पैदा की जाय, तो भी उससे ज़मीन का कुछ नुक़सान न होगा। सर्व-सामान्य फसल के लिये प्रति एकड़ बीस पाँड नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और इतना नाइट्रोजन हवा और पानी होने के बाद फसल को जो जड़ें ज़मीन में रह जाती हैं, तथा वहाँ सड़ जाती हैं, उनसे प्रतिवर्ष अनायास ही प्राप्त होता जाता है।”

यह बात विशेषतः ध्यान में रखनी चाहिए कि इंग्लैंड और जर्मनी में ५० प्रतिशत ज़मीन ५० एकड़ से अधिक आकार की है, और एक से पाँच एकड़ ज़मीन इंग्लैंड में केवल १.१ प्रतिशत और जर्मनी में ४.३ प्रतिशत है। किंतु हिंदुस्थान में ७६ प्रतिशत ज़मीन १० एकड़ से कम आकार की है। और, कुल ज़मीन में से १५.४ प्रतिशत ज़मीन १ एकड़ से भी छोटी है, यह ऊपर बताया जा चुका है। इसके साथ ही इंग्लैंड और जर्मनी की ज़मीन की प्रति एकड़ उपज का हिंदुस्थान की प्रति

एकड़ उपज के साथ मिलान करके देखने से आकाश-पाताल का अंतर मालूम होगा।

खेती के आधुनिक औजारों को दृष्टिकोण में रग्वते हुए कर्ज लेने के लिये प्रत्येक काश्तकार को काफी रूपए की आवश्यकता पड़ेगी। मि० क्रिटिंग ने अपनी 'रुरल इकॉनामी' इन विडेक्सन-नामक पुस्तक में लिखा है—“जुताई आदि का सब खर्च घटाने के बाद अपना और अपने कुटुंब का पालन-पोषण भले प्रकार करने के लिये दक्षिण-हिंदुस्थान में ऐसे ४० या ५० एकड़ की अखंड और उपजाऊ जमीन प्रत्येक किसान के पास आवश्यक होनी चाहिए, जिसमें एक अच्छा कुआँ और एक मकान हो।”

उत्तर-विहार के किसानों के पास २० एकड़ से ३० एकड़ तथा दक्षिण-विहार के कृषिकों के पास ४५ एकड़ तक जमीन हो, तो उनकी जीविका चल सकती है। पर कर्ज का पटाना उनकी आमदनी से संभव नहीं। युक्त प्रांत के प्रत्येक काश्तकार के हिस्से में करीब ३० एकड़ जमीन हो, तभी उसकी जीविका चल सकती है। यह स्टैनली का मत है।

इन आँकड़ों में अतिशयोक्ति की संभावना नहीं, क्योंकि जिनके पास इतनी जमीन अभी है, वे भी ऋण-ग्रस्त मालूम पड़ते हैं। डॉ० ई० डी० ल्यूक्स ने होशियारपुर-जिले के बहरामपुर-गाँव में जाकर वहाँ के काश्तकार-कुटुंबों का निरीक्षण किया। उससे उन्हें ज्ञात हुआ कि ऋण लिए

बिना १४ एकड़ जमीन की उपज से एक जाट-कुटुंब का निर्वाह नहीं हो सकता। मि० डालिफा का कहना है— पंजाब में दूसरे किसी सहायक उद्योग के बिना २ या १० एकड़ जमीन से एक काश्तकार का पेट नहीं भर सकता।

अंतरराष्ट्रीय कृषि की परिस्थिति पर गौर करते हुए हमें यह कहना पड़ता है कि अन्य देशों की कृषि के लिये किसानों को जितनी सहायता सरकार द्वारा दी जाती है, उतनी यदि हमारे देश के किसान भाइयों को मिले, तो निःसंदेह केवल बिहार-प्रान्त के अन्न की उपज से सारे हिंदुस्थान के लोग निर्वाह कर सकते हैं। पर सरकार ऐसा करने के लिये तैयार नहीं। किसी साल ओले, तो किसी साल पाले ही फसल का सत्यानास कर डालते हैं, बाढ़ की बात बताने की आवश्यकता ही नहीं, सबको ज्ञात ही है। किसान बेचारे हाथ मलकर रह जाते हैं। उन्हें इन विपत्तियों से बचाने का कोई साधन बिहार-प्रान्त और अन्य प्रांतों में भी उपलब्ध नहीं।

पर अन्य देशों में कृषि पर आनेवाली प्रत्येक आपत्ति से किसानों को बचाने का समुचित प्रबंध किया जाता है। ओले और पाले से भी फसल को नष्ट होने से बचाने की व्यवस्था की जाती है। जहाँ वर्षा नहीं होती, वहाँ नहर निकालकर पानी का प्रबंध किया जाता है। कृषि को लाभ

पहुँचाने के विचार से अनुसंधान में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते और तरह-तरह के नए-नए तरीके काम में लाए जाते हैं। दूर की बात जाने दीजिए। साइबेरिया में पहले गेहूँ नहीं होता था। रूस-सरकार ने उस जमीन में ऐसी शक्ति उत्पन्न कर दी कि वहाँ अब प्रतिवर्ष लाखों मन गेहूँ पैदा हो रहा है। साइबेरिया की नारंगी और अनार आदि फल मीठे नहीं होते थे, वहाँ की सरकार ने काको रुपया खर्च कर वहाँ की मिट्टी में ऐसी शक्ति पैदा कर दी कि अब वहाँ की नारंगी और अनार और देशों के समान ही मीठे हो रहे हैं।

जर्मन गाएँ दूध तो देती हैं, पर उनके दूध में मक्खन बहुत कम होता है। इसके विपरीत तिब्बत की गाएँ दूध कम देती हैं, पर मक्खन अधिक परिमाण में निकलता है। रशिया की सरकार ने अनुसंधान द्वारा ऐसा पदार्थ तैयार किया, जिसे खिलाकर तिब्बत की गायों में जर्मन गायों-सा दूध और जर्मन गायों में तिब्बत की गायों-सा मक्खन मिल रहा है। पर हमारी सरकार तो विदेशी है, उसे क्या पड़ी है कि भारत के किसानों की कृषि-समस्या हल करे। हाँ, चंद्र प्रांतों में प्रांतीय शासन की बागडोर जनता के विश्वासपात्र नेताओं के हाथ में होने से कृषि में सुधार होने की आशा है। प्रांतीय शासन के सूत्रधार इस चिंता में हैं कि किस प्रकार किसानों को कृषि में सहायता पहुँचाई जाय। पर वे भी संतोष-जनक सहायता पहुँचाने में असमर्थ हैं, क्योंकि नई शासन-व्यवस्था में ब्रिटिश



सरकार ने हमारे मंत्रियों को यह अधिकार नहीं दिया कि वे फिजूल खर्च रोक उन रूपयों को प्रजा की भलाई में खर्च कर सकें। वे चाहते हुए भी प्रजा की भलाई के काम नहीं कर पाते, अतः कृषि में भी हमें अपनी सहायता अपने ही आय करनी पड़ेगी, तभी हमारी दशा सुधरेगी।

प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय सरकार द्वारा कृषि में नाम-मात्र के रूपए व्यय होते हैं, उससे गरीब किसान को कोई लाभ नहीं होता। कृषि-विभाग के ओवरसियर बाबू लोग अपने को दिहात का हाकिम समझते हैं। वे गरीबों के दरवाजे पर भूलकर भी नहीं जाते, और न उनसे बातें करना ही उचित समझते हैं। झूठी डायरियाँ भरकर देश को धोखा दे रहे हैं। उनकी वेश-भूषा, चाल-ढाल देखकर किसान डर जाते हैं। उनसे खुन्नकर बातें नहीं करते। अतः सरकार को चाहिए कि कृषि-विभाग का सगठन नए सिरे से करे। कृषि-विभाग के अधिकारियों का देहाती पोशाक में रहना अनिवार्य कर दे। उन्हें ऐसी शिक्षा देने का प्रबंध करे, जिससे वे अपने को कांग्रेस के स्वयंसेवकों-सा समझें। यदि ऐसा करना संभव न हो, तो कृषि-विभाग तोड़ डाले। क्योंकि वर्तमान हालत में कृषि-विभाग से देश के गरीब किसानों को कुछ भी लाभ नहीं। वर्तमान सरकार कृषि में कुछ अधिक रूपए खर्च करने का प्रबंध तो कर रही है, पर कृषि-विभाग के अकसरों का दृष्टिकोण नहीं बदल रही। व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों

का अपने-अपने प्रांत की सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहिए, जिससे मंत्री महोदय इस विषय में उचित कार्रवाई कर सकें।

प्रत्येक जिले में किसानों की सहायता करने के लिये प्रांतीय सरकार द्वारा कृषि विभाग के कुछ ओवरसियर रक्षेत्र गए हैं। यदि वे किसानों के पास नहीं पहुँचते, तो किसानों को ही उनके पास पहुँचकर कृषि के संबंध में उनसे राय लेनी चाहिए। उन्हें अपने यहाँ बुलाकर उनसे खेत जातने-बोने खाद देने, खाद साड़ने आदि के तरीके सीखने चाहिए। वे कृषि-संबंधी सभी बातें बिना किसी प्रीस के बताएंगे।

कृषि के संबंध में अनेक पुस्तकें हिंदी में लिखी जा चुकी हैं, जिनमें कृषि करने के उत्तम तरीके बताए गए हैं। उन्हें मँगाकर, पढ़कर, उनमें बताए तरीकों के अनुसार कृषि करनी चाहिए। ये पुस्तकें रात्रि-गठशालाओं में भी पढ़ानी चाहिए।

हमारे देश के किसान खेती के तरीके बिलकुल भूल गए हैं। उन्हें यदि कृषि से लाभ उठाना हो, तो सतर्कता से काम लेना तथा कृषि करने का तरीका सीखना पड़ेगा।

कृषि में (१) खेत की जुताई, (२) उसका उचित खाद और (३) उचित बीज, इन्हीं तीन पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है।

खेत की जुताई जितनी गहरी होगी, उतनी ही अधिक उपज होगी। जुताई के लिये लोहे का हल काम में लाना

चाहिए। भिन्न-भिन्न प्रकार की फसल के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के हल की आवश्यकता है। उसकी पूरी जानकारी के लिये अपने जिले के कृषि-विभाग के ओवरसियर से पूछना या कृषि की पुस्तकें पढ़ना चाहिए।

खेतों में बिना उचित खाद दिए काफ़ी अन्न पैदा नहीं हो सकता, अतः खाद पर भी ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। कच्चे गोबर की खाद खेत को ऊसर बना देती है, अतः गोबर या कोई खाद बिना सड़ाए नहीं देनी चाहिए। सनई, धनचा सड़ाने से भी उत्तम खाद तैयार होती है, और भी अनेक प्रकार की विलायती खादें हैं, जिन्हें खेत में देने से उपज बढ़ती है।

बीज यदि सड़ा-गला दिया गया, तो खेत में उगेगा ही नहीं, अतः बीज तृप्त देना चाहिए। गाँवों में ग्राम-को-ऑपरेटिव सोसाइटी खोलकर उत्तम बीज देने का प्रबंध करना चाहिए।

किसान भाइयों को उसी चीज़ की खेती करनी चाहिए, जिससे अधिक-से-अधिक रुपए मिल सकें। यदि खेत कम हों, तो धान-गेहूँ-चना न बोकर फूट, खरबूजा, तरबूज, मूली, गाजर, लहसन, प्याज टमाटर, साग-भाजी, आलू, गोभी, लौकी और कंद आदि बोना अधिक लाभदायक होगा।

जितना रुपया आप पाँच एकड़ गेहूँ बोकर नहीं पैदा कर सकते, उतना पाँच गट्ट साग-सब्ज़ी बोकर पैदा कर सकते हैं। गरीब परिवार के लिये साग-सब्ज़ी बोना बहुत श्रेयस्कर

होगा। व्यापारिक विचार से भी साग-सब्जी और बागवानी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। कृषि से यदि रुपए कमाना हो, तो आँख मूँदकर तरकारियों की खेती तथा बागवानी करे। तरकारियाँ उचित समय पर बोई जायँ। जिस समय कहीं न मिलें, उस समय आपके खेत में मिलें। जैसे आप ऐसे समय परवल बोवें कि फाल्गुन तक खूब फलने लगें। उस समय आप बड़े-बड़े शहरों में मजे से बारह आने सेर बेच सकेंगे। यही हाल आलू, टमाटर, गोभी आदि का भी है।

### बागवानी

बागवानी करना तो हम भूल ही गए। पेड़ बोते हैं, पर उसे सींचना नहीं आता। अतः अपने प्रांत के कृषि-विभाग के डाइरेक्टर से बागवानी के संबंध में पूरा परामर्श लेकर हमें बागवानी करनी चाहिए। हमारा खयाल है, २५ एकड़ खेत बोकर हम उतनी रकम नहीं पैदा कर सकते, जितनी एक एकड़ खेत में बागवानी करके पैदा कर सकते हैं। फर्ज कीजिए, एक एकड़ में अगर ८० बेल के पेड़ रोपें, और प्रत्येक पेड़ से यदि हमें ५) भी प्रतिवर्ष मिलें, तो प्रत्येक साल ४००) एक एकड़ भूमि से मिलेगा। इसी प्रकार की आसदनी हमें केले,

---

\* कृषि-संबंधी विशेष जानकारी के लिये आप कृषि-विभाग के अफसरों से राय लीजिए। वे भारत के प्रत्येक जिले में हैं। और, कृषि संबंधी पुस्तकें पढ़िए।

कटहल, अमरुद, पपीता, बाँस, आम और लीची आदि से हो सकती है। अतः यदि हम चाहते हैं कि खेती से हमें कुछ रुपए मिलें, तो हमें अवश्य बागवानी करनी होगी। बागवानी में सब चीज बोन से कुछ फायदा नहीं हो सकता। अतः कोई एक चीज बोड़ए, जो जल्द तैयार हो, और काफ़ी रुपए दे। बागवानी में खाद आदि का उचित प्रबंध रखना चाहिए।

फुलवारी हमेशा गोड़ते रहना चाहिए. खाद देनी चाहिए, तथा उसके भोज्य पदार्थ की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। असाबधानी से बागवानी में लाभ नहीं हो सकता, और न पेड़ में उत्तम फल ही लग सकते हैं। कृषकों की आर्थिक दशा बागवानी और तरकारी की खेती से बहुत कुछ सुधर सकती है। पर वे इधर कुछ भी ध्यान नहीं देते !

उत्तम फल और तरकारियाँ तभी हो सकती हैं, जब आप अपनी फुलवारी में उचित खाद देंगे। बागवानी करते समय बागवानी-संबंधी पुस्तकें मँगाकर बागवानी के तरीक़े अच्छी तरह सीख लेने चाहिए।

### पशु-पालन

हमारे देश में पशु पालने का बड़ा महत्त्व रहा है। गायों

\* कृषि-संबंधी सभी पुस्तकें आपको निम्न-लिखित पते पर मिलेंगी—

गंगा-पुस्तकम.ला-कार्यालय, ३६, लाटूश रोड, लखनऊ

का जितना आदर हिंदुस्थान में है, उतना शायद किसी देश में नहीं। गौएँ पालने के कारण ही यहाँ दूध की नदी बहती थी। पुराने समय में एक-एक आदमी नौ-नौ लाख गाय तक पालते थे। दूध के लिये आज की-सी चिल्ल-पों नहीं थी। जो जितना चाहता, दूध पीता और मक्खन खाता था। इसी कारण हिंदुस्थान के लोग दीर्घजीवी, पराक्रमी, विद्वान् और शूरवीर होते थे। पर समय के उलट-फेर से हम गायों का तिरस्कार करने लगे। इधर हमारी दशा भी बिगड़ने लगी। सरकार द्वारा भी हमें अभी तक पशु-पालन में कोई प्रोत्साहन न मिला। उल्टे फौज के लिये लाखों गाएँ काटा जाती हैं, और लाखों मन गाय का मांस उजले महाप्रभुओं के उदर में गर्मी लाने के लिए प्रतिवर्ष भारत से भेजा जाता है। पर, हमें विश्वास है, हमारी कांग्रेसी सरकार अवश्य पशु-पालन में हमें प्रोत्साहन देगी और गोकुशी बंद करेगी।

हमें अच्छी-अच्छी नस्ल की गाय भैंस खरीदकर रखनी चाहिए, और उनके बच्चों को पालकर तैयार करना चाहिए। गाँवों में बकरी या भेड़ पालने का भी प्रबंध होना चाहिए, और अन्य पशु, जिनसे लाभ हो, पालने चाहिए। जो जाति जिस पशु को पालती हो, उसे उसके पालने में प्रोत्साहन देना

---

\* प्रत्येक परिवार में इतनी गाय-भैंस पालनी चाहिए कि उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को कम-से कम एक छटाँक मक्खन और एक सेर दूध मिल सके।

चाहिए। भेड़ का ऊन निकालकर उससे कंबल का व्यापार करना बड़ा लाभदायक होता है। बकरियाँ, भैंसें, घोड़े आदि पशु भी अपनी-अपनी शक्ति भर पालने चाहिए। जहाँ तक संभव हो, पशु-पालन में काफ़ी हाथ बढ़ाना चाहिए। पशु पालने से रुपए मिलते हैं, जिससे खेत की सालगुजारी का काम चलता है, और उनके मल-मूत्र कसल की उपज बढ़ाते हैं। गाय और भैंस पालने से दूध मिलता है, जिसके सेवन से शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का पूर्ण विकास होता है।

---

# बौथा परिच्छेद

## फिज़ूल खर्ची

हमारे सामने ग्रामीणों के ऋर्ज की समस्या उपस्थित है वेचारे रात-दिन खेतों में काम करते रहते हैं, फिर भी उनकी हालत सुधरने के थदले दिन-दिन विगड़ती जा रही है। गौर करने से पता चलता है कि उनके पास कुछ ऐसे फिज़ूल खर्चे हैं, जिन्हें वे जब तक नहीं छोड़ते, तब तक, कठिन परिश्रम करने पर भी, शरीवी से छुटकारा नहीं पा सकते।

ग्रामीणों के यहाँ संस्कार-संबंधा खर्च में बड़ा अंधेर है। जो ग्रामीण ऋर्ज-रहित हो, उसे यदि एक लड़के या लड़की की शादी करनी पड़े, तो निश्चय ही वह ऋर्जदार हो जायगा। यही हालत श्राद्ध या अन्य संस्कारों की भी है।

अतः ग्राम-कमेटी द्वारा नियंत्रण रखना चाहिए कि कोई ग्रामीण जनेऊ, विवाह, श्राद्ध, पूजा-पाठ अथवा तीर्थ में एक भी पैसा फिज़ूल खर्च न करे, और न दहेज ले। देश की वर्तमान परिस्थिति में एक लड़का अथवा लड़की की शादी में ग्रामीण का १० से २५ रुपए तक खर्च करना बहुत है। बरात साजकर नाच-बाजे से क्या फायदा होता है? जब तक नशा सवार रहता है, तब तक तो कुछ नहीं मालूम होता, परंतु जब बरात



विदा हो जाती है, तो खर्च का चिट्ठा देखकर होश गायब हो जाते हैं। श्राद्ध का खर्च भी बहुत है। ग्रामीण लोग श्राद्ध में आँख मूँदकर खर्च करते हैं। इस तरह ऋज का द्वार खालकर अपने को दरिद्रता-देवी के हाथ सुपुर्द कर देते हैं। उन्हें अपना घर फूँककर तमाशा देखते शर्म नहीं आती। कैसे राजव की मूर्खता है ! मैं मानता हूँ, दान देने या मरे मनुष्य के नाम पर काफ़ी रुपया खर्च कर श्राद्ध करने से अवश्य उस मनुष्य की आत्मा को शांति मिलती होगी। परंतु क्या मैं सवाल कर सकता हूँ कि ऋज लेकर श्राद्ध करने से मृत मनुष्य की आत्मा अपने वच्चों को गरीबी की चक्री में पिसते देख स्वर्ग में तड़पती न होगी ?

अतः विवाह-शादी, श्राद्ध आदि के खर्चे विलकुल कम कर दीजिए। यज्ञोपवीत-संस्कार में भी ग्रामीणों का काफ़ी रुपया खर्च होता है। उसे विलकुल कम कर देने की आवश्यकता है। एक ब्राह्मण बैठकर दोपहर तक यज्ञ करा देगा, उसमें तूल का क्या प्रयोजन ? जनेऊ में एक रुपया तक खर्च करना बहुत है। फिजूल खर्च करना देश को गरीब बनाना और स्वयं अपने लिये गरीबी मोल लेना है। हिंदू या मुसलमान भाई अपने-अपने तीर्थ-स्थानों में पहुँचकर चाइयों को रुपए दे आते हैं। वे पंडे, मुल्ले उन रुपयों का कैसा दुरुपयोग करते हैं, यह भला किससे छिपा है ? तीर्थ-स्थान इन दिनों उपन्यासों के तिलस्मी घर हो रहे हैं। काशी, मथुरा, गया, रामेश्वर, अजमेर, जहाँ

भी इच्छा हो, वहाँ के मठाधीशों या मुल्लों पर नजर दौड़ाइए, आपका हृदय घृणा से काँप उठेगा। फिर जान-बूझकर पाप-पंक में क्यों फँसते हैं ?

फिज़ूलखर्ची का दूसरा अड्डा सरकारी कचहरियाँ हैं। जो मनुष्य खूब संपन्न हो, उसे एक-दो बार मुक़दमे में फँस जाने दीजिए, फिर देखिए, दरिद्रता-देवी उसकी प्रेमिका हो जायगी। अतः हे भाइयो ! यदि आप चाहते हों कि आपके गाँव संपन्न हों, तो गाँव का एक मुक़दमा भी कचहरी में न जाने दीजिए। ग्राम-कमेटी द्वारा सारे मुक़दमों का फ़ैसला करा दीजिए। सरकार द्वारा ग्राम-शासन-क़ानून पास हो चुका है, जिसके अनुसार गाँव के पंचों को गाँव के छोटे-छोटे मुक़दमे फ़ैसल करने का अधिकार तुरंत दे दिया जायगा। यदि उसे गाँवों में तुरंत लागू करना चाहते हैं, तो प्रत्येक हलक़े से सम्मिलित दरख़वास्त स्वायत्त शासन-मंत्री के पास भेज दीजिए। दरख़वास्त पहुँचने पर प्रांतीय सरकार उस हलक़े के चुने पंचों को गाँव के छोटे-छोटे मुक़दमे करने का अधिकार दे देगी ❀। इसके अनुसार छोटे-छोटे मुक़दमे गाँवों द्वारा ही तय हो जायँगे। इससे रूपए और समय, दोनों की बचत होगी।

यदि गाँवों के मुक़दमे गाँवों में ही ग्राम-पंचायतों द्वारा तय

---

\* युक्त प्रांत की सरकार पंचायत के हाथ काफ़ी अधिकार दे रही है, और बिहार-सरकार भी जल्द ऐसा करेगी।

कर दिए जायँ, तो हजारों घर गरीबी के मुँह में जाने से बच जायँ। इसके लिये गाँवों में पढ़े-लिखे नवयुवकां तथा कांग्रेस-कार्यकर्ताओं द्वारा काफ़ी आंदोलन होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे एक भी मुकद्दमा कचहरी न जाने पावे।

हमारी आर्थिक दशा दिनोंदिन बिगड़ती जा ही है, पर फ़िज़ूलखर्ची की बागडार अभी ठीली ही नज़र आ रही है। भारत की ऐसी संकटमय दशा में यदि हम नहीं चेते, तो कोई भी हमें गरीबी के मुँह से न बचा सकेगा।

# पाँचवाँ परिच्छेद

## शासन और व्यवस्था

साल में एक बार इकट्ठा होकर अपने-अपने गाँव का संगठन कर देना चाहिए। गाँव में कुल ५, ७, ६ या ११ पंच होने चाहिए। उनमें से एक सभापति, एक मंत्री तथा एक खजांची होना चाहिए। फिर प्रत्येक गाँव की चौकी के लिये ११ स्वयंसेवकों का एक दल तथा उनके ऊपर एक दलपति होना चाहिए।

पंचायत के हाथ में निम्न-लिखित काय होने चाहिए—

१—गाँव के सारे ऋगड़े तय कर देना।

२—गाँव में एक रात्रि-पाठशाला, एक वाचनालय और एक पुस्तकालय स्थापित कर उसे चलाना।

३—गाँव के पहरे का इंतजाम करना और चौकीदारों का काम देखना। यदि चौकीदार बदमाशों पर निगरानी न रखे या अपना काम ईमानदारी से न करे, तो उसका रिपोर्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस-ऑफिसर से करना।

४—मुठिया वसूल कराना, तथा मुठिए की आमदनी से पाठशाला, पुस्तकालय, वाचनालय और दवा का प्रबंध करना।

५—अखाड़ा खुलवाना, और उसमें गाँव के नौजवानों को भेजकर उनके कुशती लड़ने का इंतिजाम करना, तथा लाठी-बनैठी आदि चलाना सिखाना ।

६—नशा-पान-निषेध पर ध्यान देना ।

७—कर्ज में डूबे हुए को कर्ज से छुटकारा दिलाने का उपाय निकालना ।

८—वेरोजगार के लिये रोजगार का प्रबंध करना ।

९—एक-दो या अधिक सुयोग्य विद्वान् उपदेशक-रूप में रख, प्रतिसप्ताह आस-पास के गाँववालों को एकत्र करा सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर उपदेश दिलाना ।

१०—ग्राम-कला-कौशल की उन्नति के लिये अपने ग्राम में आधुनिक औजारों की प्रदर्शनी करना ।

११—चर्खा-प्रचार पर ध्यान देना ।

१२—एक ग्राम-को-ऑपरेटिव सोसाइटी कायम कर ग्राम-उद्योग-संघ स्थापित करना, और उसके द्वारा ग्राम के उद्योग-धंधे का पुनर्जीवित करना ।

१३—एक ग्राम-को-ऑपरेटिव बैंक खोल कम सूद पर रोजगार करने की इच्छा रखनेवालों और कृषकों को रुपए देने का प्रबंध करना ।

१४—एक अनिवार्य शिक्षा-संघ कायम कर अपढ़ ग्रामीणों को शिक्षा देने की सारी जिम्मेवारी संघ के जिम्मे रखना तथा

प्रतिमास उस संघ के कामों का निरीक्षण कर कमी की तरफ उसका ध्यान दिलाना ।

१५—प्रतिसप्ताह अनिवार्य शिक्षा-संघ का जुलूस निकाल गाँवों या शहरों में फेरी कराना । अशिक्षा की बुराइयाँ तथा शिक्षा के गुण गाँववालों को समझाना ।

१६—गाँवों या शहरों में स्त्री-अनिवार्य-शिक्षा-संघ कायम कर स्त्री-शिक्षा का प्रचार करना ।

१७—एक दवाखाना स्थापित कर मौसमी बीमारियों के लिये सस्ती आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों तथा असाध्य मरीजों को उचित स्थानों में भेजने का प्रबंध करना ।

१८—बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, अनमेल-विवाह और तिलक-दहेज रोकना ।

१९—गाँव के चारो तरफ सड़कों और छवरोँ \* का प्रबंध करना । यदि पहले से गाँवों में छवर हों, और वे ग्रामीणों द्वारा खेतों में शामिल कर लिए गए हों, तो उन्हें पुनः दुरुस्त करा देना । यदि पहले से छवर न हों, तो सब-डिवीजनल ऑफिसर को या लोकल बोर्ड में दरखास्त दे सड़क या छवर, जिसकी आवश्यकता हो, निकलवाने का प्रबंध करना ।

२०—जहाँ के लोग हरिजन भाइयों को कुएँ का पानी न

\* छोटे रास्ते या पगडंडी को छवर कहते हैं । —संपादक

लेने देते हों, वहाँ उनको शांति-पूर्वक समझा-बुझाकर ऐसा करने से मना करना ।

२१—भिन्ना-वृत्ति रोकना । भिन्ना माँगनेवालों के योग्य काम का प्रबंध कर देना ।

२२—सबों को अपने-अपने धर्म पर चलने देना । सभी धर्मवालों के साथ 'लक्ष्य एक, पर पंथ अनेक' को ध्यान में रखकर प्रेम-भाव रखना । ईश्वर की सृष्टि-मात्र से—चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या क्रिस्तान, सबको परमपिता परमेश्वर की एकमात्र संतान समझ—समानता का व्यवहार करने का उपदेश उपदेशकों द्वारा दिलाना ।

२३—देश-विदेश में हो रही नई बातें बताना तथा कौंसिल और एसेंबली में बने कानूनों को समय-समय पर समझाना ।

२४—पुलिस-ऑफिसरों, कचहरी के मुलाजिमों, देशी राज्यों और ताल्लुकदारों तथा जमींदारों के अमलों के जुल्मों से ग्रामीणों को बचाना । रिश्वत लेनेवाले अमलों के संबंध में उचित कार्रवाई करना, जिससे वे घूस-रिश्वत न ले सकें ❀ ।

पुलिस के अफसरों पर काफ़ी निगरानी रखना ।

\* यदि गाँव के लोग घूस-रिश्वत बंद करना चाहें, तो शीघ्रता-शीघ्र घूस-रिश्वत का लेना-देना बंद हो जाय । ऐसी बातों की रिपोर्ट की सूचना उनको तुरंत कांग्रेस-कमेटियों को देना चाहिए ।

# वोट फरिश्तेद

## निर्वाचन-पद्धति

'वोट'-शब्द से नगरों से लेकर गाँवों के वच्चे तक अच्छी तरह परिचित हो गए हैं, पर उस अधिकार का उचित उपयोग विरले ही लोग करते नज़र आते हैं ।

शासन की एकमात्र कुंजी वोट ही है । वोट की हस्ती से मंत्रिमंडल कायम हुआ है । फ़ेडरेशन का संगठन वोट की ही हस्ती पर होगा । स्वायत्त शासन वोट के ही बल पर संचालित हो रहा है । चाहे आप गरीब हों या अमीर, पापी हों या धर्मात्मा, मूर्ख हों या बुद्धिमान्, यदि आपके हाथ में वोट हैं, तो आप ही अपने देश के संचालक, व्यवस्थापिका सभा के सर्वेसर्वा, कॉरपोरेशन के मेयर या डिस्ट्रिक्ट-वोर्ड के चेयरमैन हैं । यदि आपके हाथ में वोट नहीं हैं, तो आज की दुनिया में आप लाख बुद्धिमान्, क़ारूँ से भी धनी और विक्रम से भी न्यायी होते हुए भी एक तिनके के बराबर हैं । "Voters are the rulers of their country." अर्थात् वोट ही अपने देश के शासक हैं । परंतु खेद है, हम देहाती भाई अपना अधिकार नहीं पहचान सके, और न उस अधिकार



का उचित उपयोग करना ही सीख सके ! जो देश स्वतंत्र है, वहाँ बालिग-मात्र को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, पर हमारे गुलाम देश में थोड़े-से व्यक्तियों के सिवा अभी तक यह अधिकार बालिग-मात्र को प्राप्त नहीं है। असहयोग-आंदोलन से पहले तो कुछ अँगरेजी सरकार के दलालों ( धनी लोग तथा बड़े-बड़े ज़मोदार ) के सिवा सभी भारतीय इस अधिकार से वंचित थे। आम जनता भेड़-बकरियों से भी तुच्छ समझी जाती थी। हमारे देश के नेताओं को यह अपमान बहुत खला। उन्होंने गुलामी को इस अपमान की जड़ समझ पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये सरकार से युद्ध का घोषणा कर दी।

उन्होंने सरकार के साथ पूर्ण असहयोग किया। हमारा देश हमारी भाड़े की सरकार से, सन् १९२० से १९३२ तक, महात्माजी की सरदारी में, शांति और अहिंसा की लड़ाई लड़ता रहा। इसी बीच में हमें प्रसन्न करने के लिये सरकार ने कई दफा कितने ही सुधार दिए, जिनमें वोट देने की थोड़ी-थोड़ी सहूलियत बढ़ती गई। पर हम तो पूरी आजादी के भूखे थे, अतः सभी सुधार ठुकराते गए, और हमारी लड़ाई जारी रही। सरकार की बेचैनी बढ़ती गई, और अंत में शायद भारत-सरकार की आज्ञा से लॉर्ड इरविन ने, जो आज लॉर्ड हेल्सी फॉक्स के नाम से पर-राष्ट्र-मंत्री हैं, महात्मा गांधी के साथ सुलह कर ली। बिलायत में 'राउंड टेबुल-कान्फ़ेस' बुलाई गई। उसमें हमारे

देश के एकमात्र कणधार महात्माजी भी बुलाए गए । पर आपस की फूट से हम असली नतीजे पर नहीं आ सके— हमें आजादी नहीं हासिल हो सकी । ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने हमारे ऊपर जबरदस्ती '१९३५ शासन-सुधार' के नाम से बहुत जहरीला कानून लाद दिया । हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिक्ख, ईसाई, दलित क्रौम आदि कई भागों में हिंदू-राष्ट्र को वाँट, फूट डालकर राज्य करने की चाल चले । उसके अनुसार पहली एप्रिल, १९३७ से प्रांतीय शासन चल रहा है । इसी सुधार के अनुसार वोट देने की कुछ अधिक सहूलियत हमारे देश-वासियों को हासिल हुई है । अभी केवल साढ़े तीन करोड़ व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार मिला है । पर यदि हमारी लड़ाई जारी रही, तो वह दिन दूर नहीं, जब हम पूर्ण स्वतंत्रता हासिल कर ३७ करोड़ व्यक्तियों में से बालिग-मात्र को वोट देने का अधिकार दे देंगे । परंतु यह तभी संभव है, जब हिंदू, मुसलमान, ईसाई एक होकर, कांग्रेस का साथ दे, गुलामी की जंजीर तोड़ डालेंगे ।

हाँ, तो जिस वोट को हमने इतनी कड़ी तपस्या के बाद पाया है, उसे कौड़ियों के मोल नहीं बेचना चाहिए । सच तो यह है कि वोट का अधिकार न तो हमें व्यक्तिगत परिश्रम से मिला है, और न हम अकेले इसके हकदार ही हैं । पूरे राष्ट्र ने इसके लिये एक साथ कठिन तपस्या की है, तब पाया है ।

अतः इसे हमें राष्ट्र को देना चाहिए । दूसरे मेरे भाई ही क्यों न हों, यदि वे इसके योग्य नहीं, और हमारे राष्ट्रपति की आज्ञा नहीं, तो कभी हमें उनके हाथों सुपुर्द नहीं करना चाहिए ।

हमारे राष्ट्र के कर्णधार, किसी भी चुनाव में, उम्मीदवार घोषित करने के पहले वहाँ की जनता से उम्मीदवारों की योग्यता के विषय में परामर्श माँगेंगे । वहाँ हमें बड़ी मुस्तैदी की आवश्यकता है । अनेक धोखेवाज, मक्कार भी हमारे नेताओं के सामने अपना दानवी माया-जाल फैलाकर यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हमीं अमुक स्थान से प्रतिनिधि होने का हक रखते हैं । वहाँ अगर उन्हें मक्कार साबित करने में आप चूक गए, तो वे हमारे नेताओं को धोखा देकर आपके प्रतिनिधि हो जायँगे । इस प्रकार आपका सच्चा, योग्य सेवक आपकी सेवा से वंचित हो जायगा, और आप पाँच वर्ष के लिये बेतरह धोखे के फंदे में जा फँसेंगे । बहुधा ऐसा होता पाया गया है । उस समय आप अपने नेताओं को दोष देते हैं, परंतु यह आपकी भूल है । नेताओं के दिव्य दृष्टि तो है नहीं, और न वे विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठे हैं कि ठीक-ठीक न्याय कर देंगे । जब चुनाव का समय आवे, तब गाँव-गाँव की ग्राम-कमेटी द्वारा प्रस्ताव पास करा दीजिए कि अमुक मनुष्य हमारा अगुआ होने की योग्यता रखता है । इस प्रकार जिस उम्मीदवार के संबंध में ग्राम-कमेटियों की राई अधिक

होंगी, उस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना जायगा। अतः आपको काफ़ा प्रयत्न करना होगा, जिससे नेतृत्व-रूपी सुधा कहीं असुरों के हाथ न लग जाय, नहीं तो बड़ा ही अनर्थ हो जायगा। महाभारत की कथा आपको याद होगी कि समुद्र मथने पर सुधा निकलते देख असुरों ने सोचा, यदि हम इसे पी जायँ, तो अमर हो जायँगे। बस, फिर क्या था, चट राहु देवतों का वेश बनाकर उनकी जमात में बैठ गया, और सुधा पी गया। इसी तरह जब-जब चुनाव आता है, तब-तब ये स्वार्थी—मानव-रूप में दानव—आपको धोखा दे, नेतृत्व-रूपी सुधा-पान करने की कोशिश करते हैं। उन मौकों पर यदि आप उन्हें भाड़ू से अलग न कर सकेंगे, तो निःसंदेह आप अपने को ठगों के हाथ सुपुर्द कर देंगे। अतः आप चुनाव में खूब सावधानी से काम लीजिए, और नेताओं के पास खूब सोच-समझकर योग्य, सच्चे, अनुभवी, न्यायी तथा निःस्वार्थी व्यक्ति के लिये सिफ़ारिश कीजिए। मैं यहाँ, संक्षेप में, इस विषय पर प्रकाश डालूँगा कि कैसे व्यक्ति को अपना अगुआ—प्रतिनिधि—चुनना चाहिए, और कैसे व्यक्ति को कांग्रेसी उम्मीदवार घोषित करने के लिये नेताओं से सिफ़ारिश करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अगुआ चुनिए—

१. जो जन-सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका हो।
२. जो न्याय के सामने भाई और शत्रु को बराबर समझता हो।

३. जो कम-से-कम इतना पढ़ा-लिखा हो कि जिस जगह आपका अगुआ बनाया जाता हो, वहाँ के कागजात अच्छी तरह पढ़ सके, अपने मातहतों की कार्रवाइयों का मुलाहिजा कर सके, उनकी गलतियाँ निकाल सके, तथा उस कमेटी के अन्य स्थानों के अगुआ जब अपने स्थान के लिये माँग पेश करें, तब आपकी तरफ से वह भी माँग पेश करे, आपके हकों की रक्षा के लिये तर्क-युक्त वकालत कर सके।

इन तीनों बातों के बारे में मेरा वक्तव्य यह है—

फर्ज कीजिए, कोई-कोई सेवा-धर्म से अलग रहनेवाला धनी बोर्ड के चुनाव के समय सोचता है कि चलो, दस-बीस हजार रुपया खर्च कर, कुछ कांग्रेसी सिपाहियों को मिला, वोटरों को पूड़ी-मिठाई खिला, मोटर की सैर करा, अन्य प्रलोभन दे एक बार डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड या कौंसिल का मेंबर हो जाऊँ। काफी इज्जत होगी। डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के रोड-पेटरील से लेकर डॉक्टरों और मास्टरों तक पर रोव गाँठूँगा। दूसरे दर्जे में जनता के रुपयों से चलूँगा। बड़े-बड़े हाकिमों से साहब-सलामत का मौका मिलेगा। सभ्य-समाज में एक कुर्सी का हकदार हो जाऊँगा। अतः वह कोशिश करेगा कि आपका सच्चा सेवक न जाय, और वह धोखा देकर आपके यहाँ से मेंबर हो जाय। उस समय आपका धर्म है कि जी-जान से उस व्यक्ति की सहायता करें या वोट दें, जो आपके देश के लिये मरता है, जो गरीबों का हृदय-सम्राट है, जिसके हृदय

में जनता के लिये दर्द है। महाकवि दुलारेलालजी भार्गव के सुंदर शब्दों में—

राष्ट्र-प्रेम जाके हिय नाहीं ;

जाय जनम जग पाय फिरै सो सूकर-सरिस सदा हीं ।

नेह जनाय मिलै सो तोसों चहै डारि गलवाहीं ,

सामिल कीजै कबौं न वाकौं मीत-मंडली माहीं ।

लाख मित्र होने पर भी देश-प्रेम की सच्ची आग जिसके हृदय में न सुलग रही हो, जो ३७ करोड़ जनता के लिये जीने-मरने को तैयार न हो, उसे भूलकर भी अपना अगुआ न चुनिए। चाहे डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड की मेंबरी हो या कौंसिल की, अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस-कमेटी की सदस्यता हो या ग्राम-कांग्रेस-कमेटी की। याद रखिए, धोखेबाज, पद-लालुप तथा देश-द्रोही सार्वजनिक भला नहीं कर सकते। वे चाहेंगे, राष्ट्र का खजाना उनके संबंधियों को मिले। वे जनता की थाती स्वयं लूट लेंगे। परंतु देश-प्रेम की आग में तपाया हुआ राष्ट्र-सेवक ऐसा नहीं कर सकता। अतः सधे देश-सेवी को ही अपना प्रतिनिधि चुनिए, जिसे संसार का कोई भी वैभव, कोई भी प्रलोभन पद-च्युत न कर सके।

यदि आपने ऐसे व्यक्ति को अपने हल्के से डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड का प्रतिनिधि चुन लिया, जो अन्यायी हो, तो अधिकार पाने पर, वह खुलकर बेईमानी करेगा। अधीनस्थ कर्मचारियों के योग्य होने पर भी व्यक्तिगत द्वेष से उन्हें तबाह कर डालेगा।

बात-बात में रिश्वत लेगा। कहाँ तक बतलाऊँ, जहाँ तक जुल्म और अत्याचार करना संभव होगा, करेगा। उपर्युक्त व्यक्ति का सार्वजनिक हित का कोई कार्य सौंप दिया, तो वह स्वार्थ के वश हो अपने साथ सबको ले डूबेगा। मान लीजिए, यदि आपने किसी स्वार्थी मनुष्य को किसी गोशाले का मैनेजर बना दिया, तो वह सारी अच्छी गाँवें बँचकर रुपए इकट्ठा कर लेगा, और भूठा कागज़ दिखा देगा कि अमुक बीमारी से ये गाँवें मर गईं।

भूकंप के समय सरकार यदि किसी स्वार्थी मनुष्य को गाँवों में मदद देने के लिये अफसर नियुक्त किए होती, तो वह क्या करता ? जनता का घर बनवाने के बदले अपना घर सोने का बना लेता। कुएँ बनवाने और पीड़ितों की मदद करने के रुपयों से अपने यहाँ कुएँ खुदवाता या अपने संबंधियों को मदद देता। कंबल और कपड़े पीड़ितों को देने के बदले अपने घर में रख लेता, और गरीब, पीड़ित भाई हाथ मलकर रह जाते। याद रखिए, स्वार्थी मनुष्य सभी जगह हैं, क्या सरकार क्या कांग्रेस। अतः ऐसे मनुष्य, चाहे पवित्र-से-पवित्र संस्था में भी क्यों न हों, अपनी आदत से बाज़ नहीं आ सकते। जिस समय ऐसा आदमी किसी भी पद के लिये उम्मीदवार खड़ा हो, उसका खुले शब्दों में पूर्ण विरोध कीजिए। यदि वह किसी पवित्र संस्था में हो, तो वहाँ से उसे अलग करवा उस संस्था की प्रतिष्ठा बचाइए।

प्रतिनिधि होने के लिये यह आवश्यक नहीं कि एम्० ए०, बी० ए० हो। पर प्रतिनिधि की पढ़ने-लिखने की इतनी योग्यता अवश्य होनी चाहिए, जिससे वह अपने अधीनस्थ कार्यों का संचालन बिना किसी दिक्कत के कर सके। बोलने की योग्यता इतनी रखता हो, जिससे मातृभाषा आपके हक़ों की रक्षा अच्छी तरह कर सके।

यों तो हमारे देश में हमारे प्रतिनिधियों को अंगरेज़ी जानने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, फिर भी जब तक

\* वर्तमान समय में अंगरेज़ी हुकूमत होने से कचहरी, डिस्ट्रिक्ट-चोर्ड, यूनिचन बोर्ड, म्युनिसिपल-बोर्ड, स्कूल, अस्पताल आदि के सभी काम अंगरेज़ी में ही होते हैं, जिससे हमारे कितने ही प्रतिनिधि हिंदी-बर्दू के विद्वान् होते हुए भी कागज़ात नहीं समझ पाते। डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, लोकल-बोर्ड आदि का एजेंडा तक अंगरेज़ी भाषा में होता है, जिससे अधिकांश मेबर, जो अंगरेज़ी नहीं जानते, बिना दूसरे की मदद के यह नहीं समझ पाते कि आगामी बैठक में किस विषय पर कार्यवाही होगी। हिंदुस्थान में अंगरेज़ी को महत्त्व देना हम हिंदुस्थानियों का अपमान करना है।

‘हंसिया के विवाह में खुरपी का गीत’ किसे अच्छा लगेगा? मुझे यकीन है, कोई भी स्वदेशाभिमानि यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके देश की राजभाषा विदेशी हो। हमें इसका पूर्ण विरोध करना चाहिए, और जितनी जल्द हो सके, हिंदी को राजभाषा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंगरेज़ी तो हमारी गुलामी का अंतिम चिह्न है। अतः जैसे हो सके, हमें इसका अंत कर हिंदी को राजभाषा बनाना होगा।—लेखक



राजभाषा अँगरेजी है, तब तक हमारे प्रतिनिधि बिना अँगरेजी भाषा का ज्ञान रखे हमारा प्रतिनिधित्व सफलता-पूर्वक नहीं कर सकते। अतः जब तक राजभाषा हिंदी नहीं हो जाती, तब तक अँगरेजी की भी बड़ी आवश्यकता है।

आएँ दिन कितने ही महानुभाव, जिनमें उपर्युक्त तीनों में से एक भी गुण नहीं होता, जो एक-दो बार जेल तो जा चुके हैं, पर और कोई योग्यता उनमें नहीं है, चुनाव का समय आते ही अपनी लाज-शरम को तिलांजलि दे चुनाव में उम्मेदवारी के लिये दूट पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी अपना प्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए। कितने ही निरक्षर-भट्टाचार्य कांग्रेस-पक्ष मजबूत देख कांग्रेस में इसीलिये हाथ बँटा रहे हैं कि समय आने पर डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड, लोकल-बोर्ड, म्युनिसिपल - बोर्ड, या टाउन - एरिया आदि में किसी स्थान पर मेंबर हो जायँगे। यह उनकी भूल है। हृदय में स्वार्थ-भाव रखकर कभी देश-सेवा नहीं करनी चाहिए। यदि उपर्युक्त कार्य-भार संपादन करने की योग्यता नहीं, तो वहाँ पहुँचकर कुर्सी तोड़ने, राप मारने या हॉल में सोने के सिवा और क्या कर सकेंगे ? कागजात क्या खाक समझ में आएँगे ? बहस का अनुसरण होगा नहीं, मुलाहिजा करने की योग्यता रखते नहीं, फिर क्या भत्ता पाने के लिये ही देश-सेवा का बाना धारण किया है ? कहने का तात्पर्य यह कि किसी भी पद के लिये इच्छा तब कीजिए, जब उसे

पूर्णातया सँभालने का योग्यता रखते हों। अंधा कभी दूसरों को रास्ता नहीं बता सकता।

परंतु स्वार्थी मनुष्य कर्तव्याकर्तव्य की चिंता नहीं करते। हाँ, आपको तो अपनी भलाई-बुराई देखनी ही होगी। अतः अपर्युक्त कार्य-भार सँभालने की योग्यता जिस व्यक्ति में हो, उसे ही अपना ओट दे प्रतिनिधि चुनना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से परम शत्रु ही क्यों न हो।

ओट देने के दिन लोग दूसरे की गाड़ी पर चढ़कर, दूसरे का अन्न खाकर, थोड़े लोभ में आकर अपना ईमान और धर्म बेच देते हैं। ऐसा करना मूर्खता है। अपना खाकर, अपनी सवारी पर जाकर न्याय के नाम पर जिसे हृदय उचित समझे, उसे ही अपना वोट देना चाहिए।

---

# सातवाँ परिच्छेद

## गाँवों का स्वास्थ्य

गाँवों की गंदगी मशहूर है। जिधर नज़र दौड़ाए, उधर ही कूड़ा-करकट, सड़ा-गला दिखाई देता है। इस ओर ध्यान देने को बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि गंदगी ही बीमारी का घर है।

बरसात के दिनों में कूड़ा-करकट गढ़े में पानी के साथ सड़ जाता है। कूड़ा-करकट सड़ने से पानी दूषित हो जाता है, और उसमें मच्छड़ पैदा हो जाते हैं। ये ही मच्छड़ बीमारी की जड़ हैं। दशहरे से गाँवों में मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाता है। इसका एकमात्र कारण गाँवों की गंदगी ही है। हैजा, प्लेग, मौसमी मलेरिया, तपेदिक, इन सब बीमारियों का कारण केवल गंदगी ही है। जिस दिन गाँव साफ रहने लगेंगे, उसी दिन बीमारियों की इतिश्री हो जायगी।

मवेशियों से गाँवों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अतः कोशिश होनी चाहिए कि मवेशी गाँवों के बाहर रक्खे जायँ। गाँव के लोग नाँद का बचा हिस्सा दरवाज़े पर रख छोड़ते हैं। वह सड़ जाता और उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। दरवाज़े का कूड़ा करकट बहारकर दरवाज़े पर लगा दिया जाता है। मवेशियों

का मल-मूत्र, घर का भाड़न-बुहारन तथा अन्य सड़े-गले पदार्थ इकट्ठा कर ग्रामीण दरवाजे पर लगा देते हैं, जिससे तरह-तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। अतः गाँव-कमेटी के पंचों का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए, और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह की कोई गंदी चीज, मवेशी का मल-मूत्र, दरवाजे का कूड़ा-करकट गाँवों में न रहने पावे। दरवाजे की बुरी चीजें या मवेशी का मल मूत्र दूर खेत में, गढ़े खोदकर, ढककर रखना चाहिए। गढ़े में ढककर रखने से दो फायदे हैं— एक तो वायु दूषित नहीं होती, दूसरे सड़कर उत्तम खाद तैयार हो जाती है। घर की मोरियाँ हमेशा साफ रखनी चाहिए। उनमें क्लीचिंग पाउडर और फिनायल छोड़ने से उनके कीड़े मर जायँगे, तथा वायु शुद्ध रहेगी। क्लीचिंग पाउडर और फिनायल जिले के हेल्थ ऑफिसर के यहाँ, ग्राम-पंचायत-कमेटी द्वारा दरखवास्त देने पर, मुफ्त मिलेगा। कुएँ में भी कीड़े हो जाया करते हैं। जब कुएँ में कीड़े हो जायँ, तो चूने में क्लीचिंग पाउडर या लाल दवाई (पोटेशियम परमैंगनेट) डालकर कुएँ का पानी निकाल देना चाहिए। कुएँ की सफाई साल में दो बार, मार्च और सितंबर में, होनी चाहिए।

गाँव में या गाँव के नजदीक मल-मूत्र त्याग करने से भी गाँव का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, अतः कोशिश रखनी चाहिए कि कोई गाँव में या उसके आस-पास मल-मूत्र त्याग न करे।

हरिजनों की बस्तियाँ तो मानो गंदगी का अड्डा हैं। गंदा रहना मानो उन वेचारों ने अपना स्वभाव बना लिया है। उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। वे हमारे अंग हैं, अतः यदि हम गाँवों का सुधार चाहते हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि उनका सुधार करें। हमें उनकी टोलियों में जाकर उनके घरों की सफाई करानी चाहिए। उन्हें अपने शरीर तथा कपड़ों को स्वच्छ रखने के लिये बाध्य करना चाहिए। उनके घर के आस-पास यदि कूड़ा लगा हो, तो उसे दूर हटवा देना चाहिए। स्वास्थ्य को हानि पहुँचानेवाली अन्य जितनी दूषित वस्तुएँ हों, उन्हें अलग करा देना चाहिए।

सफाई के ही खयाल से हमारे धर्म-ग्रंथों में होली, दिवाली आदि त्योहारों पर घरों को स्वच्छ करने का उपदेश दिया गया है। वस्तुतः वरसात के दिनों में कूड़ा-करकट सड़कर जहाँ-तहाँ जम जाता है। धूप न होने के कारण घरों में कीड़े पैदा हो जाते हैं। दिवाली के दिन तक वर्षा-ऋतु का अंत हो जाता है। अतः वर्षा-ऋतु का अंत होने पर घरों को गोबर और पीली मिट्टी से लोप देने से वर्षा-ऋतु में पैदा हुए कीड़े मर जाते हैं। धर्म की भावना देकर हमारे ऋषि-मुनियों ने धर्मशास्त्रों में स्वास्थ्य-संबंधी सारी सुंदर-सुंदर बातें बताई हैं, जिनका यदि अनुसरण हो, तो गाँवों में कभी महामारियाँ न पहुँचें। हवन से वायु शुद्ध होती है, अतः गाँवों में हवन होना स्वास्थ्य के लिये अति आवश्यक है।

गाँवों में जहाँ-तहाँ लोग शौच कर देते हैं, जहाँ बैठते हैं, थूक देते हैं। यह बड़ी बुरी आदत है। मल-मूत्र से वायु दूषित होकर अनेकों बीमारियाँ फैलाती है। अतः मल-मूत्र गाँवों से दूर त्याग करना चाहिए, और त्यागकर मिट्टी से तोप देना चाहिए।

एक जाति के लोग गाँवों में शूकर पालते थे। वे शूकर घूमकर नित्य मल की सफ़ाई किया करते थे। पर इन दिनों शूकर पालने की प्रथा कम होती जा रही है। इससे गाँवों के स्वास्थ्य को बड़ा धक्का पहुँच रहा है। अतः ग्राम-कमेटियों द्वारा शूकर पालनेवाले भाइयों को प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यापार के विचार से भी शूकर पालने में काफ़ी नफ़ा है। जो जाति शूकर पालती है, वह यदि अधिक परिमाण में पाले, तो उसे अपने कुटुंब के लिये अन्य किसी रोज़गार की आवश्यकता नहीं। केवल उसी आनंद के साथ उसकी जीविका चल जायगी। परंतु इन शूकरों को घरों के आस-पास न आने देना चाहिए, नहीं तो उनके पैरों का मल गाँव गंदा करेगा।

पाखाने के लिये सेपटिक टैंक बनाने से न तो गंदगी का डर रहता है, और न पाखाने साफ़ करने के लिये मेहतर की आवश्यकता होती है। इसके बनवाने में छ रुपए से कुछ अधिक का खर्च है। देहात के लिये तो सेपटिक टैंक बड़ा ही सुविधा-जनक है। जो सज्जन अपने इस्तेमाल के लिये सेपटिक टैंक बनवाना चाहें, वे अपने प्रांत के स्वास्थ्य-विभाग के डाइ-

रेक्टर से बनानेवाले मिस्त्री पा सकते हैं। परंतु इससे भी बढ़िया और सस्ता तरीका यह है कि गाँव से दूर खेतों में गढ़े खोदकर मल-मूत्र त्यागा जाय, और उसे तुरंत मिट्टी से तोप दिया जाय। इसमें खच कुछ भी नहीं, खाद को भी रक्षा हो जाती है, और वायु भी दूषित नहीं होने पाती।

जहाँ तक संभव हो, गाँवों की सफाई पर पूर्ण ध्यान दीजिए। गाँवों में कुछ ऐसे मूर्ख पुरुष नजर आते हैं, जो अपनी नासमझी से गाँवों का स्वास्थ्य खराब कर देने पर तुल जाते हैं; गाँव के बीचोबीच कड़ा-करकट रख देते हैं, गोबर ढेर कर देते हैं, बच्चों का मल-मूत्र दरवाजे पर लगा देते हैं। ऐसे मनुष्यों को इसकी बुराइयाँ समझाकर यह आदत छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और, जो किसी प्रकार मानने पर तैयार न हों, उन्हें ग्राम-कमेटी द्वारा सजा होनी चाहिए, या जिस प्रकार हो सके, उन्हें उचित रास्ते पर लाने का प्रबंध करना चाहिए, जिससे गाँव का स्वास्थ्य खराब न हो।

# आठवाँ परिच्छेद

## कर्ज की समस्या

भारतवर्ष के ऊपर लादे गए कर्जों पर गौर कर हृदय घबरा चूठा है। ब्रिटिश सरकार इतना कर्ज भारतवर्ष के ऊपर लादे चुकी है कि शायद स्वतंत्र होने पर हमारे राष्ट्र को उसी के भरने में सैकड़ों वर्ष लग जायँगे। यह कर्ज यदि हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिये लिया गया होता, तो हमें कोई आपत्ति न थी, किंतु इसका अधिकांश ब्रिटेन की उन्नति के लिये लिया गया है, जैसे योरोपीय महायुद्ध के समय का सारा खर्च भारत के ऊपर लादा गया है। ईसाई-धर्म-प्रचार में जो खर्च होता है, सब हमारे राष्ट्र के खर्च में शामिल होता है। भारत की आमदनी का आधा हिस्सा ( ५० करोड़ ) केवल फौज में, ब्रिटेन को सुरक्षित रखने के लिये, खर्च किया जाता है। पर सारा खर्च भारत के ऊपर लादा जाता है। भला, संसार में कौन ऐसा राष्ट्र होगा, जो अपनी आमदनी का आधा हिस्सा फौज में खर्च कर देता हो? हमारे बाइसराय महोदय की तनख्वाह लगभग २००) रोज़ है! हमारी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिविलियनों, फौज के अफसरों तथा अन्य बड़े पदाधि-



कारियों को पेंशन देने में प्रतिवर्ष विलायत भेज दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि भारतवर्ष दिवालिया हो जाय, तो आश्चर्य ही क्या ? यह तो है हमारे राष्ट्र की दशा। अब गाँव में रहनेवाले किसानों और मजदूरों पर जो कर्ज है, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दें।

नीच दिए आँकड़ों से भिन्न-भिन्न प्रांतों के ऊपर लदे कर्ज के बोझ का अंदाज़ा लगेगा, जो १९३० की किसान-कर्ज-जाँच-कमेटी की रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ था—

प्रांत	जन-संख्या	कर्ज:
बंगाल	५०१ लाख	१०० करोड़
युक्त प्रांत	४८४ "	१४२ "
मद्रास	४६५ "	१५० "
बिहार-उड़ीसा	३७६ "	१५५ "
पंजाब	२३५ "	१३५ "
मध्य-प्रांत	११५ "	३६ "
बंबई ( सिंध-सहित )	२१८ "	८१ "
आसाम	८६ "	२२ "
केंद्रीय इलाके		१८ "
कुर्ग	१३ "	३६ "
बर्मा		५०-६० "

ब्रिटिश भारत के ग्रामीण भाइयों पर कुल ६०० करोड़ कर्ज है।

इससे पता चलता है कि बंगाल में प्रत्येक व्यक्ति पर औसत २०), मद्रास में २५), बिहार में ४१), पंजाब में ३५) तथा मध्य-प्रांत में ३१) ऋज है। इस प्रकार ग्रामीण भाइयों के ऊपर औसत ऋज ३५) होता है, और औसत आमदनी ४२) ही। यदि ऋज का सारा बोझ हटा दें, तो बेचारे ७) में कैसे मालगुजारी दें, कैसे कृषि-संबंधी चीजें खरीदें, और कैसे जीवन की आवश्यक वस्तुएँ क्रय करें? नतीजा यह होता है कि वे ऋज पटा नहीं पाते। कहीं-कहीं तो ऋज और आमदनी बराबर पहुँच जाते हैं !

ऐसी हालत में यदि ऋज का उचित उपाय सरकार द्वारा न हुआ, तो ऋज में डूबे हुए भाई, जो नब्बे फीसदी हैं, बिना मौत मर जायँगे। ऋज देनेवाले साहूकार कुछ बहुत ही नाजायज कार्रवाइयाँ करते हुए नजर आते हैं, जिन्हें रोकने का प्रांतीय सरकार द्वारा प्रबंध होना चाहिए। उन नाजायज कार्रवाइयों में से कुछ मैं नीचे दे रहा हूँ—

१—थोड़े-से रुपए देकर निरक्षर भाइयों से सादे कागज पर अँगूठे का निशान ले लेना तथा समय पर उन पर मनमाने रुपए का दावा कर सारी जायदाद नीलाम करा लेना।

२—सादे कागज पर अँगूठे का निशान लेकर रख लेना, और ऋज अदा करते समय दूसरा निशान दिखाकर काट देना। कुछ दिन बाद पहला निशान अपने संबंधियों तथा मित्रों को देकर उसकी सारी जायदाद नीलाम करा लेना।

३—कर्ज देने के पहले ही ४ रुपए से लेकर १५ रुपए सैकड़ा तक सलामी काट लेना, और दो रुपए सैकड़ा तक सूद वसूल करना ।

४—एक रुपया सैकड़ा तहरीर और ११ तक टिकट वसूल करना ।

५—एक रुपया सैकड़ा घोड़ही, हथिही, व्याही आदि वसूल करना ।

६—अपना बहीखाता ऐसी चालवाजियों से लिखना कि कर्जदार के ऊपर जितने चाहे, रुपए दिखा दिए जायँ ।

मेरी आँखों के सामने एक ऐसी घटना घटी थी कि साहूकार ने एक आदमी से ५०० रुपए की चिट्ठी लिखा ली, पर रुपया नहीं दिया । बेचारे गरीब ने अदालत की शरण ली, पर वहाँ से भी उसे हारकर लौटना पड़ा ।

साहूकारों के इन जुल्मों से ग्रामीणों को बचाने के लिये तब तक कोई उपाय नहीं, जब तक सरकार ग्राम-बैंक खोलकर कर्ज देने का प्रबंध स्वयं नहीं करती । ग्रामीणों को इस दुःख से बचाने के लिये सरकार द्वारा निम्न-लिखित कार-चाइयाँ कौरन् होनी चाहिए, अन्यथा वे बरबाद हो जायँगे—

१—कर्जदारों ने जितना कर्ज दिया है, उसके दूने से अधिक की डिग्री अदालत न दे ।

२—कर्ज में छूत्रे हुए भाई यदि चाहें, तो अदालत उनके कर्ज की उचित क़िस्त कर दे ।

३—प्रांतीय सरकार भारत-सरकार से कर्ज लेकर, प्रत्येक थाने में सरकारी बैंक खोलकर कर्जदारों को कर्ज दे, तथा ग्राम-उद्योग-धंधे खोलकर, कर्ज में डूबे हुए व्यक्तियों से काम लेकर उसका कर्ज पटाने का प्रबंध करे।

४—जो कर्ज में डूबे ग्रामीण या रोजगारी सरकार में उद्योगशाला खोलने या बाहर के देशों से उद्योग-धंधे सीखने के लिये कर्ज माँगे, उन्हें कर्ज देने का प्रबंध करे।

५—सुरक्षित कर्ज १) सैकड़े और असुरक्षित ११) सैकड़े से अधिक न लिया जाय, न अदालत डिग्री ही दे।

रोगी को जब तक भीतर दवा नहीं पिलाई जाती, तब तक मरहम-पट्टी से कुछ असर नहीं पहुँचता। उसी प्रकार ग्रामीणों का जीवन सुखमय बनाने के लिये लाखों प्रयत्न भले ही हों, पर जब तक उनके कर्ज का प्रश्न हल नहीं हो जाता, तब तक उनका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता।

# नर्कों परिच्छेद

## मादक द्रव्य

जहाँ हमारी शिक्षा-पद्धति का दृष्टिकोण बदलकर हमें निकम्मा बना डाला गया, हमारे उद्योग-धंधे नष्ट कर हमें दरिद्र बना दिया गया, वहाँ मादक द्रव्य-सेवन में प्रोत्साहन दे हमारा नैतिक पतन करने में भी कोई कोर-कसर नहीं रक्खी गई। इस क्रूर पिशाच ने तो भारत का सर्वनाश करके ही छोड़ा है।

एक मजदूर, जो चार आने रोज़ पाता है, ज्यों ही अपनी मजदूरी पा लेगा, भट्ठी की ओर दौड़ेगा, और जब तक अपनी सारी कमाई भट्ठी-देवी के हवाले न कर देगा, घर न लौटेगा। इस तरह अपनी दिन-भर की गाढ़ी कमाई भट्ठी के हवाले कर मजदूर खाली हाथ घर पहुँचते हैं। इधर स्त्री और बच्चों को भूख की ज्वाला में जलते हुए देख तनिक भी तरस नहीं आता, उलटे नशे की भोंक में स्त्री और बच्चों की खबर लेते हैं। यदि मजदूरी बंद हो जाती है, तो स्त्री के गहने, कपड़े-लत्ते बेचकर शराब पीना आरंभ कर देते हैं। यदि घरवालों ने कुछ भी आनाकानी की, तो डंडों से खबर लेना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार अपना

सर्वस्व बेचकर दर-दर भीख माँगते फिरते हैं। शराब पीने की दत्त यदि किसी धनी-से-धनी व्यक्ति को भी लग गई, तो थोड़े वर्षों में उसका सर्वनाश समझिए। शराब के पीछे हज़ारों धनियों को भिखारी बनते हुए आपने देखा होगा। जो हालत शराब-ताड़ी पीनेवालों की होती है, वही गाँजा और अफीम के गुलाम होनेवालों की होती है। नशा एक-सा असर करता है, चाहे अफीम हो या भाँग, गाँजा हो या शराब-ताड़ी। जो व्यक्ति इनमें से किसी का इस्तेमाल आरंभ करते हैं, उनको सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, भला-बुरा, कर्म-कुकर्म, धर्म-अधर्म समझने की शक्ति जाती रहती है। फेफड़े सड़ जाते हैं, सेकड़ों बीमारियाँ शरीर में घर कर लेती हैं। ज्यों-ज्यों इनका सेवन करते जाते हैं, त्यों-त्यों सेवन करने की इच्छा बढ़ती जाती है। जिनके पास कल राज्य था, वे आज इसी पिशाचिनी के फेर में पड़कर भिखमंगे बन गए हैं, किसी वेश्या का जूठा चाट रहे हैं, या अपना जीवन बोक समझ इस संसार से सदा के लिये छुट्टी ले रहे हैं।

भारतवर्ष में पुराने जमाने में भी मादक द्रव्य का व्यवहार करना पाप समझा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी भूलकर भी इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। जब तक उन लोगों ने इस नियम का पालन किया, तब तक ज्ञानी, विद्वान् और सुखी बने रहे, परंतु जब से अपने ऊपर से यह पाबंदी हटा ली, तब से सब तरह से नीचे चले गए।

रामायण में एक स्थान पर इस प्रसंग की एक बड़ी शिक्षा-प्रद कथा आती है। कथा का रूप इस प्रकार है—

श्रीमर्यादा-पुरुषोत्तम रामचंद्रजी के राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा था। दैव-योग से जिस वर्ष से वह तपस्या कर रहा था, उसी वर्ष से वर्षा बंद हो गई। महर्षियों ने इसका कारण सोचा, पर उन्हें उस अवर्षण का कोई उचित कारण नज़र नहीं आया। वे बहुत दिन तक इसी चिंता में पड़े रहे। एक दिन उन ब्राह्मणों में से किसी ने कहा—भाई, जिस साल से यह शूद्र तपस्या कर रहा है, उसी साल से यह अवर्षण हुआ। इसकी सत्यता की जाँच के लिये वे ब्राह्मणदेव उस तपस्वी शूद्र के पास पहुँचे। उन लोगों ने उससे पूछा—भाई, कब से तपस्या करते हो ? उसने ठीक-ठीक बता दिया। ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि इस अवर्षण का कारण एकमात्र इस शूद्र की तपस्या है, अतः उन्होंने पुरुषोत्तम राजा रामचंद्रजी के पास पहुँच सारी कथा कह सुनाई, और कहा कि हे राजन् ! आप शूद्र तपस्वी को मारकर पृथ्वी का बोझ हलका कीजिए। जब तक वह शूद्र तपस्या करता रहेगा, तब तक मेघ देव जल नहीं दे सकते। अकाल के मारे राजा रामचंद्रजी की प्रजा मर रही थी। एक आदर्श राजा होने के कारण इसका उन्हें बहुत दुःख था। वह प्रजा का कष्ट दूर करने के लिये कुछ भी करने को सहर्ष तैयार थे। ब्राह्मणों की बातें मानकर वह उस जंगल में धनुष-बाण लेकर

पहुँचे, जहाँ वह शूद्र तपस्या कर रहा था, और उसे मार डाला। मारने के बाद उसकी कुटो में उन लोगों ने कुछ गाँजा और गाँजा पीने की चिलम पाई। यथार्थ में वह तपस्वी शूद्र नहीं, ब्राह्मण था, परंतु गाँजे का खूब दम लगाया करता था, अतः ब्राह्मणों ने उसे अपनी जाति से अलग कर दिया था, और उसे शूद्र समझते थे। अवर्षण का कारण यही बताया जाता है कि वह तपस्वी गाँजा पीकर वायु-मंडल को दूषित बना देता था, इसी से पानी नहीं बरसता था। बात जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें यहाँ यही दिखाना है कि बहुत पुराने ज़माने से नशा-पान करना बहुत बड़ा अपराध समझा जाता था। और जो लोग रामायण की बात को अक्षर-अक्षर सत्य मानते हैं, उन्हें तो यह भी मानना चाहिए कि आज जहाँ लाखों लोग नित्य गाँजा-भाँग, बीड़ी-सिगरेट् पीकर वायु-मंडल दूषित बना रहे हैं, वहाँ अगर अकाल पड़े, या अवर्षण हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मैं सच कहता हूँ, जिस दिन से गाँजा-भाँग पीना बंद हो जायगा, शराबी शराब पीना बंद कर देंगे, अफीमची अफीम खाना छोड़ देंगे, सिगरेट्, चुरुट, बीड़ी, तंबाकू, सबका पूर्ण बहिष्कार हो जायगा, उसी दिन हमारा देश एक बहुत बड़ा मसला हल कर लेगा।

यह तो मानना ही पड़ेगा कि नशीली वस्तुओं के व्यवहार से जन-साधारण के स्वास्थ्य पर भी कम असर नहीं पड़ता।



वायु-मंडल दूषित हो जाने के कारण तरह-तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, और इस तरह सैकड़ों ग्रामीण असमय में ही काल के गाल में चले जाते हैं ।

आर्थिक विचार से भी नशीली वस्तुओं के व्यवहार से देश को बहुत हानि पहुँच रही है । भारतवर्ष में ५५ लाख मठ हैं । यदि प्रत्येक मठ में कम-से-कम एक रुपए का गाँजा नित्य खर्च होता हो ( इससे अधिक खर्च होता है, कम नहीं ), तो भी प्रतिदिन ५५ लाख रुपए केवल दूसरों की कमाई पर जिद्दगी बसर करनेवाले साधु फूँक डालते हैं ! इस हिसाब से वर्ष-भर में लगभग दो अरब रुपए का गाँजा जिस देश में अहदी लोग — साधु के भेष में देश के कलंक — फूँक डालते हैं, भला, उस देश की क्या हालत होगी ? इसके बाद सर्व-साधारण के गाँजे का हिसाब है । सिगरेट्, बीड़ी, अफीम, चुरुट, शराब, ताड़ी और तंबाकू अलग हैं ।

मादक द्रव्य-सेवन से मानव-समाज का नैतिक पतन भी बड़ा भयंकर होता है । जो मनुष्य गाँजा-अफीम या शराब-ताड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, जैसा मैं ऊपर लिख चुका हूँ । कितने ही लोग शराब के नशे में खून तक करते पाए गए हैं ।

इस प्रकार मादक द्रव्य हमारा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पतन करके तब चैन लेता है । मानव-समाज का इससे घोर शत्रु दूसरा खोजने पर भी आप नहीं पा सकते ।

यही कारण है कि भारत के ऋषि-मुनि इसके निषेध की पूर्ण व्यवस्था किए हुए थे ।

इस्लाम-धर्म में भी नशीली वस्तुओं का निषेध है । पर इन दिनों धर्म के असली तत्त्व को हिंदू देखते हैं, न सुसलमान । वस, आपस में लड़ना ही अपना परम धर्म समझते हैं ।

हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत कांग्रेस को मादक द्रव्य सदैव खटकता रहा । अतः उसने कराँची के घोषणा-पत्र में एक प्रस्ताव इस आशय का भी पास किया कि कांग्रेस नशीली वस्तुओं का व्यवहार रोकने का पूर्ण उद्योग करेगी ।

अपने घोषणा-पत्र के अनुसार जब कांग्रेस ने प्रांतीय शासन की बागडोर अपने हाथ में ली, तो शराबबंदी का आंदोलन आरंभ कर सर्व-प्रथम मद्रास और बाद को बिहार तथा यू० पी० के क्रमशः सारन तथा एटा-मैनपुरी-जिले में शराब-ताड़ी और गाँजे की विक्री का लाइसेंस रोक दिया । मद्रास के प्रधान मंत्री श्रीराजगोपालाचार्य, यू० पी० के आवकारी-विभाग के मंत्री माननीय डॉक्टर कैलासनाथजी काटजू और बिहार के आवकारी-विभाग के मंत्री माननीय श्रीयुत जगलालजी चौधरी शराबबंदी-आंदोलन को सफल बनाने में खूब व्यस्त हैं, पर उनका तथा अन्य कांग्रेसी महोदयों का आंदोलन तभी सफल हो सकता है, जब जनता उनको सहयोग दे ।

जनता यदि समझती है कि मादक द्रव्य सचमुच हमारे

प्राण, धन तथा ज्ञान का घोर शत्रु है, तो शीघ्रातिशीघ्र उसे इसे रोकने पर तुल जाना चाहिए ।

इस संबंध में ये उपाय काम में लाए जा सकते हैं—

( १ ) ग्राम-पंचायत द्वारा महीने में एक बार डुग्गी पिट-वाई जाय कि मादक द्रव्य मनुष्य के जीवन के लिये बड़ी घातक वस्तु है, इसका सेवन कोई न करे ।

( २ ) जो इसे इस्तेमाल करता हुआ पाया जाय, उसके पास ग्राम-कमेटी के पंच तथा ग्राम के अन्य वृद्धे जायँ, और उसकी बुराइयाँ समझाते हुए उसे छोड़ देने की शपथ लें । फिर भी यदि वह न माने, तो गाँववाले बार-बार उसकी बुराइयाँ समझाते रहें ।

( ३ ) सरकार मेजिक लैटर्न, सिनेमा और बुलेटिन द्वारा नशीली वस्तुओं के व्यवहार की बुराइयाँ बतलाए ।

( ४ ) मादक द्रव्य सेवन की बुराइयों से संबंध रखनेवाले नाटक गाँवों में खेले जायँ । हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार पं० गोविंदवल्लभ पंत ने 'अंगूर की बेटी'-नामक एक सुंदर नाटक लिखा है । उसमें शराब की बुराई का अच्छा चित्रण किया है । इस नाटक को गाँव-गाँव में खिलवाने और पढ़वाने से मादक द्रव्यों के प्रति जनता में घृणा पैदा होगी ।

( ५ ) प्रति सप्ताह मादक द्रव्य-विरोध-समिति की एक बैठक की जाय, और जुलूस निकालकर कांग्रेस-कमेटी द्वारा गाँव-गाँव निम्न-लिखित नारे लगाए जायँ—

गाँजा पीना छोड़ दो । अफीम खाना छोड़ दो ।  
 भाँग पीना छोड़ दो । शराब पीना छोड़ दो । तंबाकू  
 खाना छोड़ दो । बीड़ी-सिगरेट् छोड़ दो । ताड़ी पीना  
 छोड़ दो । नशा भीख मँगाता है । नशा बुद्धि हर लेता  
 है । नशा मनुष्य को पशु बना देता है ।

इतना करने पर ऐसा शायद ही कोई मनुष्य होगा, जो  
 नशा-पान करना न छोड़ दे । हाँ, जरूरत है सच्चे कार्यकर्ताओं  
 की, जिनके अभाव में किसी राष्ट्र का उद्धार होना सोलहो  
 आने कठिन है ।

---

# दसकॉँ फरिच्छेद

## अखीरी बात

ग्राम-सुधार की भावना गांधी-युग की सबसे बड़ी देन है। महात्माजी ने जीवन का जो आदर्श देश के सामने रक्खा है, उसमें न कृत्रिमता को स्थान है, न आडंबर को। ग्राम-सुधार की भावना की महत्ता उसकी पूरी-पूरी व्यावहारिकता है। हम लाख हवाई किले बनाएँ, दिन के सपने देखें, उससे हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई अंतर नहीं आता। किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिये कुछ उपकरणों की जरूरत तो होती ही है, चाहे वह योजना सुधारवादी हो या क्रांतिवादी। ग्रामोत्थान की किसी भी स्कीम की मंशा गाँववालों के दिलों में आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावना पैदा करना है। उन्हें इस लायक बनाना है कि वे अपने रोजमर्रा के मसलों का हल आप सोच सकें। उनकी भीषण गरीबी और देश की सौजूदा परिस्थिति में भी उन्हें इस लायक बनाना है कि वे सीधी-सादी ही सही, पर मनुष्य की जिंदगी बिता सकें। उनकी क्रय-शक्ति कुछ तरक्की करे। वे अपनी जरूरतें समझें, और जीवन के एक परिष्कृत तथा सुंदर आदर्श से अनुप्राणित हो अपने उपलब्ध साधनों का सही-सही उपयोग कर सकें। सुमकिन है, मशीनों की सभ्यता के पुरजोश

हिमायती ग्रामोत्थान की भावना को पागलों का सपना कहें। मशीन-युग का उद्योगवाद बड़े-बड़े कल-कारखानों का उद्योग-वाद है, चर्खों और करवों का नहीं। जमाना ट्रैक्टर और विजली की ओर संकेत करता है। फिर यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय धन की वृद्धि तभी होगी, जब राष्ट्रीय धन की उत्पादिका राष्ट्र की जन-शक्ति अधिक-से-अधिक लाभदायक उत्पादन के तरीकों से काम करने में लक्ष्य हो। ग्राम-उद्योग-धंधों में लगी जन-शक्ति का उत्पादक मूल्य बहुत ही कम है। और फिर, जब उत्पादन का ढाँचा ही हमारी ऋय-शक्ति को सीमित करता हो, तो तरक्की की गुंजायश ही कहाँ रहती है। हमें इस सैद्धांतिक मुवाहसे से कोई गरज नहीं। बातें अगर ठीक भी हों, तो व्यावहारिक नहीं, और ग्राम-सुधार की खूबी उसकी व्यावहारिकता है। हिंदोस्तान आज्ञादी के रास्ते पर अग्रसर एक गुलाम देश है। हमारी क्रियात्मक शक्तियाँ कुंठित हो गई हैं। हममें स्वावलंबन और आत्मविश्वास का नितांत अभाव है। हमारे साधन सीमित हैं। गाँवों की भयंकर गरीबी बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के प्रसार में बाधक है। हम बहुत दूर हाथ-पैर नहीं फैला सकते। हिंदोस्तान के सात लाख गाँवों में निवास करनेवाली ३० करोड़ जनता की जिंदगी हम दो-चार बड़े-बड़े कल-कारखाने खुलवाकर नहीं सुधार सकते। और फिर, हिंदोस्तान के औद्योगीकरण का जो नक्शा हमारी नजरों के सामने है-

उसमें भी ग्राम-उद्योग एक पुण्य कार्य की शक्त में नजर आता है। कुछ ऐसे ग्रामीण उद्योग-धंधे हैं, जिनका छोटे पैमाने पर ही होना राष्ट्र के लिये हितकर होगा। यह कहना भी कि ग्राम-सुधार को योजना हमारी आजादी की लक्ष्य-प्राप्ति में बाधक है, और इससे सुधारवादी मनोवृत्ति के फलने का अंदेशा है, कोई अच्छी दलील नहीं। आखिर हमारी आजादी की लड़ाई के पोछे जो भावना काम कर रही है, वह एक बेहतर जिदगी की भूख ही तो है। अपने वर्तमान साधनों को मद्दे नजर रखते हुए अगर हम किसी ऐसी स्कीम को अमल में ला सकें, जिससे हमारे करोड़ों देहाती भाइयों की जिदगी में कुछ परिवर्तन आ सके, वे अधिक स्वावलंबी और आत्मविश्वासी बन सकें, तो इससे हमारी आजादी की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ती। जो लोग ग्राम-सुधार का मूल्य रूपों, आनों और पैसों में आंकते हैं, वे केवल ग्राम सुधार की भावना के एक ही पहलू पर गौर करते हैं। निश्चय ही ग्रामोत्थान की किसी भी योजना में गाँववालों की आर्थिक हालत में सुधार-योजना का एक महत्त्व-पूर्ण अंग है, लेकिन उसके दूसरे अंग भी कम महत्त्व-पूर्ण नहीं।

ग्रामोत्थान या गाँव-सुधार से हमारा मतलब ग्रामीण जीवन में सर्वतोमुखी परिवर्तन है। उसके मुख्य अंग हैं— शिक्षा, ग्रामों की स्वास्थ्य-व्यवस्था, ग्रामीण उद्योग-धंधे, गाँवों की सड़कें, सिंचाई और पानी की व्यवस्था, खेती के तरीकों में

सुधार, छोटे-मोटे सुकदमों का निवटारा, कर्च तथा बाजार की सुव्यवस्था आदि ।

इस भावना के प्रतिपादक महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ग्राम-सुधार के खयाल को अपनाया । सत्याग्रह कांग्रेस का एक ध्वंसात्मक प्रोग्राम है, गाँव-सुधार रचनात्मक । कांग्रेस ने पहला अमली कदम अखिल भारतीय चरखा-संघ की स्थापना कर इस तरफ बढ़ाया । अखिल भारतीय चरखा-संघ अब तक जो कुछ कर सका है, वह बहुत ही आशाप्रद और उत्साह-वर्द्धक है । दूसरा कदम अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघ की स्थापना थी । दुःख की बात है कि डॉक्टर कुमार-जैसे योग्य व्यक्ति के हाथों में रहते हुए भी जाने क्यों इस संघ की प्रगति अच्छी नहीं हुई । अब तक कांग्रेस के मंसूबे बहुत बड़े थे, साधन सीमित । पर पद-ग्रहण ने कांग्रेस को वह मौका दिया कि वह अपने इतने दिनों के खयालात को अमल में ला सके । कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने स्कीमें तैयार कराईं, ग्राम-सुधार-अफसर बहाल किए । संयुक्त प्रदेश की सरकार ने सत्तासी लाख रुपए की रकम ग्राम-सुधार-योजना को कार्यान्वित करने में खर्च करना तय किया है । कितने ही शिक्षा-केंद्र खुल गए हैं, और ट्रेनिंग शुरू हो गई है । बिहार-सरकार की ग्राम-सुधार-योजना भी वही है, जो और कांग्रेसी सरकारों की । अभी-अभी बिहार-सरकार ने २०० ग्राम-संगठनकर्ता और १६ निरीक्षक बहाल किए हैं ।



फिर भी हम यह कहे बगैर नहीं रह सकते कि ग्रामोद्धार का कार्य ऐसे लोगों से ही संपन्न होगा, जो सेवा-भावना से प्रेरित हों।

जो भी हो, इस युग में ज्योति है, आत्मविश्वास है, जन-सेवा के लिये सच्ची लगन है, और है सबसे बड़ी चीज पराधीनता तथा गरीबी की वेड़ियों को चूर-चूर करने की उन्मत्त अभिलाषा। यदि हवा का रुख ऐसा ही रहा, तो बहुत जल्द हम अपने देश के गाँवों का नव-निर्माण कर लेंगे।

